छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा | **द्वितीय सत्र**

मंगलवार, दिनांक 06 फरवरी, 2024

(माघ 17, शक सम्वत् 1945)

[अंक 02]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 06 फरवरी, 2024

(माघ-17, शक संवत् 1945)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 11.00 बजे विपक्ष के पूरे लोग गायब हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको नमस्कार।

अध्यक्ष महोदय :- नमस्कार।

निधन का उल्लेख

श्री शिव नेताम, अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यन्त दु:ख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्यमंत्री, श्री शिव नेताम का दिनांक 15 जनवरी, 2024 को निधन हो गया।

श्री शिव नेताम जी का जन्म 28 अप्रैल, 1950 को दवेना में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। आप बस्तर संभाग में आदिवासी परिषद् के अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर प्रथम बार केशकाल निर्वाचन क्षेत्र से सन् 1985 में तथा दूसरी बार कांकेर निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1993 में और अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन में प्रथम बार के निर्वाचन उपरांत संसदीय सचिव तथा दूसरी बार के निर्वाचन उपरांत राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन के पद का दायित्व संभाला। उनकी सामाजिक कार्यों एवं खेल में विशेष अभिरूचि थी। आपने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री रहे श्री शिव नेताम जी का हार्ट अटैक आने के बाद, उनका ईलाज के दौरान 15 जनवरी, 2024 को निधन हो गया। वे 72 साल के थे। वे काफी समय से बीमार थे। श्री शिव नेताम जी वर्ष 1993 में कांकेर विधान सभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। तात्कालीन मध्यप्रदेश सरकार में उन्होंने वन मंत्री के दायित्वों का निर्वहन किया। श्री शिव नेताम जी ने अपने

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया था। वे बड़े ही मिलनसार स्वभाव के थे। श्री शिव नेताम जी बस्तर और आदिवासियों से जुड़े विषयों को मुखरता के साथ उठाते रहे। मैं स्वर्गीय श्री शिव नेताम जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन, हम सबके लिए दु:खद अवसर है कि आज हमारे पुराने साथी श्री शिव नेताम जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि देने के उपस्थित हुए हैं। वे सन् 1885 में पहली बार चुनकर आएं और वर्ष 1885 में उनकी क्षमता को देखकर, उन्हें संसदीय सचिव बना दिया गया था। जब वे वर्ष 1993 में दूसरी बार चुनकर आये तब वह हम लोगों के साथ राज्य मंत्री के पद पर थे। वे मेरे पड़ोस में ही रहते थे। मेरे उनसे अच्छे संबंध थे। चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मामला था। हम सब छत्तीसगढ़िया लोग एक साथ उठने, बैठने, सामाजिक बात और छत्तीसगढ़ के उत्थान करने के बारे में सोचते थे। वे एक बहुत अच्छे मिलनसार व्यक्ति रहे। उनके निधन से बस्तर में जो राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, वह तो पड़ेगा ही। हम लोगों के छत्तीसगढ़ में भी हमको एक अच्छे साथी छोड़कर गये, मैं उनकी दु:खद मृत्यु के संदर्भ में श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही साथ हम ईश्वर से यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर उनके परिवार को यह दु:ख सहने की क्षमता प्रदान करें और आने वाले दिनों के उनके परिवार के सदस्यगण उस कमी को पूरा करने के लिए सक्षम हों। इसी प्रार्थना के साथ, मैं, इस सदन की ओर से, अपने परिवार की ओर से मैं भाई श्री शिव नेताम जी को श्रद्धांजलि देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिव नेताम जी बहुत ही सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने दो बार जनप्रतिनिधि के रूप में और उसके बाद पार्टी के पदाधिकारी के रूप में सेवायें दीं। वह आदिवासी समाज से थे और आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने पूरे जीवन भर कार्य किया। हम लोगों के उनसे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध रहे और अनेक बार एक दूसरे के घरों में आना-जाना रहा। मैं कह सकता हूं कि जहां प्रदेश को, आदिवासी समाज को राजनीतिक रूप से क्षति हुई है और व्यक्तिगत क्षति भी है। हमारा उनसे मित्रता का संबंध रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे अवसर पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री आशा राम नेताम (कांकेर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिव नेताम जी हमारे कांकेर जिले के विधायक थे, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिव नेताम जी का दु:खद निधन विगत 15 जनवरी को रायपुर के एक निजी अस्पताल में हो गया है। माननीय शिव नेताम जी दो बार विधायक रह चुके थे और एक बार अविभाजित मध्यप्रदेश में वन मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने एक बार कांकेर से भी प्रतिनिधित्व किया है। व्यक्तिगत, पारिवारिक रूप से मैं उनसे परिचित भी रहा हूं और समय-समय पर विभिन्न विषयों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उनके दु:खद निधन पर मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नीलकंठ नेताम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिव नेताम जी केशकाल से विधायक, संसदीय सचिव रहे, जहां से आज मैं विधायक बन करके आया हूं। पूर्व में जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते थे उस समय भी कांकेर कॉलेज में उनका राजनीतिक, सामाजिक तौर पर सहयोग रहता था। मैं अपना एक व्यक्तिगत संस्मरण जरूर रखना चाहूंगा। वर्ष 1994 में जब वे सामान्य प्रशासन विभाग के राज्यमंत्री हुआ करते थे, मेरी छोड़ करके, हमारे सभी डिप्टी कलेक्टर्स की पोस्टिंग हो गई थी। पता चला कि कॉलेज के समय के धरना-प्रदर्शन वगैरह के कुछ केसेस रह गये थे। ऐसी स्थिति में जब मैंने उनके पास पहुंच करके अपनी बातें रखीं तो उन्होंने न केवल तत्काल कांकेर में सारी चीजों का निराकरण करवाया बल्कि 3 तीन दिन के भीतर मुझे उस समय नियुक्ति आदेश मिल गया था। उनकी इस सहृदयता का मैं उनको अभी श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके परिवार के सारे सदस्य इस दु:ख की घड़ी में धैर्य के साथ काम करेंगे।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री शिव नेताम, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री के साथ हम लोगों का एक पारिवारिक संबंध रहा है। वह मुझे हमेशा छोटी बहन के रूप में संबोधित किया करते थे। जब से मैं राजनीति में आई, उस समय से उन्होंने हमेशा मेरी विधान सभा में आकर मुझे सहयोग किया। हम लोगों ने हमारे कांकेर विधान सभा क्षेत्र के एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को खो दिया, उसके लिए हम सबको बहुत ही दु:ख है। हम सब मिलकर हमारे नेता को मैं अपने परिवार और अपने साथियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर का मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 05 मिनट तक के लिये स्थगित।

(11.11 से 11.20 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

11.20 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पहला दिन है।

अध्यक्ष महोदय :- जी।

डॉ. चरण दास महंत :- यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में दो लाईन कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जी, बिल्कुल। आपने तो शुरूआत ही शेरो-शायरी से की है तो आज भी शुरूआत हो सकती है। यह पांच साल ऐसा ही चलता ही रहेगा।

डॉ. चरण दास महंत :- जी।

खामेश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फ़त नई नई है,
अभी तकल्लुफ़ है गुफ़्तुगु में अभी मोहब्बत नई नई है।।

इस मोहब्बत का ख्याल रखें।

अध्यक्ष महोदय :- वाह।

डॉ. चरण दास महंत :-

बहार का आज पहला दिन है चलो चमन में घुम कर आयें,
फ़ज़ा में ख़ुशबू नई नई है गुलों में रंगत नई नई है।।
धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- इस उम्र में भी आप romantic हैं, यह बहुत अच्छी बात है। (हंसी)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उही मा महूं कइ देवत हौं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। धरम जी, एक मिनट।

श्री कुंवर सिंह निषाद :-

वो जो रास्ते थे, वफ़ा के थे, यह जो मंजिलें हैं, सजा की हैं,
इनका हमसफ़र कोई और था, इनका हमनशीं कोई और है।।

अध्यक्ष महोदय :- वाह। चलिये, धरम जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मोहले जी, इसी में बोलेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- शायरी का जवाब।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहले जी का लप-लप कर रहा है। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :-

नई उमंग है, नई जोश है,
आप तो थोड़ा दिल से खामोश हैं,
क्यों यह चुप हैं, क्यों खुश हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वाह। धरम लाल कौशिक जी।

<u>पीडीएस के तहत संचालित दुकानों की जांच</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

1. (*क्र. 58) श्री धरमलाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या ता. प्र. सं. 03 (क्र. 844) दिनांक 17 मार्च, 2023 पर चर्चा के दौरान मंत्री जी के द्वारा 24 मार्च, 2023 तक परीक्षण करने की अंतिम तिथि घोषित की गई थी ? यदि हॉ, तो क्या घोषणा के अनुरूप परीक्षण/जांच पूर्ण हो गई है तथा परीक्षण/जांच किसके द्वारा की गई है? परीक्षण/जांच रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई है तथा इसके निष्कर्ष क्या थे? कितनी दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा उक्त दोनों जांच/सत्यापन में कुल कितनी दुकानों में चावल, चना, शक्कर के संबंध में स्टाक, आवक-जावक, वितरण व शेष से संबंधित अनियमितता/अंतर पाया गया है? जिलेवार, दुकानसंख्यावार, मात्रावार, सामग्रीवार व राशिवार जानकारी देवें ? (ख) कितनी दुकानों को भौतिक सत्यापन के पश्चात् नोटिस जारी किया गया है ? कितनों को निलंबित व निरस्त किया गया है तथा कितने दुकानदारों व विभागीय कर्मियों के विरूद्ध पुलिस/विभागीय जांच प्रारंभ की गई है? जिलेवार जानकारी देवें ? (ग) क्या केन्द्र सरकार के द्वारा इस या विगत वित्तीय वर्ष में भेजे गए अधिकारियों द्वारा, छत्तीसगढ़ में पीडीएस चावल व अन्य खाद्यान्न संबंधी जांच/परीक्षण किया गया है ?यदि हॉ,तो कब, किसके द्वारा किया गया तथा जांच के निष्कर्ष/तथ्य क्या थे तथा क्या-क्या अनियमितता/कमियों की जानकारी दी गई है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जी हां। उचित मूल्य दुकानों के माह सितम्बर, 2022 के बचत स्टॉक का सत्यापन खाद्य निरीक्षक/सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा किया गया तथा जांच रिपोर्ट दिसम्बर, 2022 से मई, 2023 के दौरान प्रस्तुत किया गया। राज्य की कुल 13,392 उचित मूल्य दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा जांच उपरांत दुकानों में जितने राशन सामग्री के स्टॉक में कमी पाई गई उनकी जिलेवार, दुकान संख्यावार, राशन सामग्री की मात्रावार तथा अनुमानित राशि की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] - अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार है। (ग) जी हां। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के उप सचिव, श्री एस.आर. मीणा, श्री राजेश कुमार पांढीर अवर सचिव के जांच दल द्वारा दिनांक 10.05.2023 से 12.05.2023 तथा दिनांक 24.07.2023 से 27.07.2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह सितम्बर, 2022 की स्थिति में उचित मूल्य दुकानों के भौतिक सत्यापन के संबंध में जांच परीक्षण किया गया। जांच दल द्वारा प्रतिवेदन राज्य शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में केन्द्र सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 06 जून, 2023 में सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन स्थापित किये जाने, दुकानों से राशन सामग्री के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु कार्ययोजना बनाने, पीडीएस राशन सामग्री के परिवहन तथा वितरण हेतु दुकानों की निगरानी तथा जांच के सुदृढ़ीकरण, उचित मूल्य दुकानों की निगरानी समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने तथा पीडीएस स्टॉक की अनियमितता की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करने के मुख्य निर्देश दिये गये हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में हम लोगों ने प्रश्न किया था। पूरे प्रदेश के पी.डी.एस. चावल का मामला है। पी.डी.एस. चावल में जो अनियमितता व हेराफेरी हुई है और जिस प्रकार से उसमें चावल माफियाओं के द्वारा गरीबों के चावल को अफरा-तफरी किया गया। इसको लेकर समय हमने प्रश्न लगाया था। मंत्री जी द्वारा 24 मार्च, 2023 तक पूरे परीक्षण करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि हम पूरे 24 मार्च तक परीक्षण करा कर जवाब देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, 23 मार्च को ही सत्रावसान कर दिया गया।

श्री धरम लाल कौशिक :- 23 मार्च को ही सत्रावसान कर दिया गया था। फिर जब हमने एक प्रश्न लगाया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में याचिका लगी है, इसलिए जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। जबकि कोर्ट में याचिका से कोई लेना-देना नहीं है। यदि कोर्ट के द्वारा स्टे प्रदान करे तब वह मामले आते हैं कि विचार किया जाये या न किया जाये। लेकिन जिस प्रकार से गरीबों के चावल में यहां पर बड़े मात्रा पर गोरख धंधे चल रहे थे, उसको लेकर हमने प्रश्न लगाया था तो 24 मार्च, 2023 तक उसकी पूरी जानकारी देने की बात कही गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मार्च, 2023 की स्थिति में जो परीक्षण किया गया, तो परीक्षण के द्वारा उसमें कितनी अनियमितता पाई गई? उसमें कितने लोग को निलंबित किये गये? कितने एफ.आई.आर. किये गये? उसमें कितना सार्टेज मिला? यह थोड़ा-सा मंत्री जी बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, षष्ठम् विधान सभा का यह पहला प्रश्न है।

श्री दयालदास बघेल :- जी। आशीर्वाद देंगे।

[1] परिशिष्ट "एक"

अध्यक्ष महोदय :- पहला दिन है और जो प्रश्न कर रहे हैं, वह पूर्व में विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं तो जवाब बहुत अच्छे से आना चाहिए।

श्री दयालदास बघेल :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है। हकीकत में पूर्व खाद्य मंत्री ने इसी विधान सभा में 17 मार्च को जवाब दिया था। वह प्रश्न क्रमांक 844 था, जिसमें यह जवाब दिया गया था था कि 24 मार्च तक स्टाक सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी। लेकिन 24 मार्च तक यह जो सत्यापन होना था, वह नहीं हो पाया।

श्री धरम लाल कौशिक :- मंत्री जी, एक मिनट। मैं एक प्रश्न कर लेता हूं। यदि 24 मार्च तक जानकारी नहीं दी गई। यदि हाऊस में मंत्री का कमिटमेंट हो और उसमें आसंदी का निर्देश हो और उस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो क्या यह विधान सभा की अवमानना नहीं है?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आसंदी का निर्देश था कि इसे दिनांक 24 मार्च तक करें करके तो इस पर तो कार्यवाही बनती है । आगे प्रश्न की स्थिति ही नहीं बनती है । इसमें आसंदी की अवमानना हो रही है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पहले रिकॉर्ड निकलवाकर देख लीजिये । चूंकि इसमें आसंदी का निर्देश है और जब आसंदी का निर्देश है तो इसमें अवमानना की कार्यवाही होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सभी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि इस विषय को लेकर आसंदी ने स्पष्ट निर्देश दिया था । मुझे लगता है कि मंत्रीगण अभी पहली बार जवाब देने के लिये पहले दिन ही आये हुए हैं तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आसंदी से जो भी आदेश-निर्देश होता है उसका समयबद्ध पालन करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है इसलिए चूंकि पहली बार है, पहला दिन है इसलिये मैं इसमें कुछ और दूसरी बात नहीं कहूंगा लेकिन भविष्य में इस बात की चिंता हमको करनी पड़ेगी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब आप प्रश्न में आ जाईये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि जब अमरजीत भगत जी ने दिनांक 24 मार्च, 2023 तक इसका परीक्षण पूर्ण करने का निर्देश जारी किया उस समय मेजों को थपथपा-थपथपाकर बाकी सदस्यों ने उसका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद जब 24 मार्च की तारीख आयी तो 24 तारीख को यहां से रफू-चक्कर हो गये । चूंकि अभी यह मेरा पहला प्रश्न है । इस चुनाव को जीतने के बाद और आपके उधर जाने के बाद इस सत्र का यह पहला प्रश्न है ।

आप इस पहले प्रश्न में जल्दी-जल्दी बोलते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जांच का यह जो मामला अभी लंबित है । इस जांच के मामले में कितनी गड़बड़ी पायी गयी है ? यदि अभी आपके पास जानकारी आ गयी हो तो उसमें कितनी गड़बड़ी पायी गयी है ? अभी संशोधन दे रहे हैं । अभी यहां पर संशोधन दिये । अब मैं इस संशोधन को कैसे पढ़ूं कि कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ । यदि 1 या 2 घंटे पहले इसको दे देते तो मैं इसको देख लेता कि कम है या ज्यादा है । मंत्री जी, मैंने तो अभी इसको केवल ऐसे ही देख लिया है । आप कृपया यह बताईये कि इसमें टोटल कितने की गड़बड़ी पायी गयी है ?

अध्यक्ष महोदय :- यदि आपके पास कुछ नये तथ्य हैं तो वे उसकी जानकारी मांग रहे हैं ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 तक सभी जिलों का परीक्षण और कार्य पूर्ण होकर के विभाग में प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है जिसके अनुसार दिनांक 24 मार्च, 2023 की स्थिति में 5882 दुकानों का चावल, 54,240 टन, राशि 192.65 करोड़ रूपए । शक्कर-5442 दुकानों में 2807 टन, राशि 10,009 करोड़ । चना- 3771 दुकानों में 2440 टन, राशि 13.34 करोड़ रूपये । यानी इसमें कुल राशि 216.08 करोड़ रूपये की कमी पायी गयी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 216 करोड़ रूपये की अफरा-तफरी हुई है । यह तो इनकी जांच में बता रहे हैं लेकिन माननीय मंत्री जी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इसमें चूंकि 216 करोड़ रूपये की गड़बड़ी हो गयी । उसमें क्या नियम था कि जो सोसायटी है, जिसमें हम पी.डी.एस. के सिस्टम में राशन भेजते हैं तो प्रत्येक 2 महीने के बाद उसका वेरीफिकेशन होना चाहिए कि कितना चावल बचा हुआ है और जो चावल बचा हुआ है उसके अनुसार उसको कम करके दिया जाना चाहिए । उसके लिये उस समय जो पोर्टल चल रहा था, चूंकि आप लोगों ने यह दिया था कि उचित मूल्य दुकान की आई.डी., माह-नवंबर, 2021 का बता रहा हूं कि घोषणा पत्र मात्रा क्विंटल में यह तो पूरा लिखा जाता था न कि उसमें कितना चावल है? उसमें कितना वितरण होना है? उसमें कितना बचा हुआ है? तो ये सब जब लिखा हुआ है तो 216 करोड़ रूपये के चावल की अफरा-तफरी कैसे हो गई? उसका क्या कारण है? उस दुकान पर समय पर जांच करने का दायित्व किसका है? और उन्होंने जांच किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे, यह बतायें।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महादेय, वर्ष 2017 से अप्रैल 2022 तक राशन दुकानों को 2 माह पहले की बचत मात्रा को घटाकर तथा 3 माह पहले की बचत मात्रा को जोड़कर हर महीने राशन सामग्री प्रदाय की जाती थी। इस व्यवस्था में मई, 2022 से बदलाव किया गया, क्योंकि दुकानों का बचत स्टॉक डाटा राज्य के सर्वर में उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद यह डाटा भारत सरकार सर्वर के पास था। इसके कारण मई से दिसंबर, 2022 तक दुकानों के बचत को जाने बिना राशन का प्रदाय किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन खाद्य अधिकारी

के दुकानों में बचत मात्रा को घटाकर राशन प्राप्त करने की सुविधा दी गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मई, 2022 से दिसंबर, 2022 तक दुकानों को राशन सामग्री प्रदाय व्यवस्था में बदलाव तत्कालीन संचालक, खाद्य के अनुमोदन से परिवर्तन किया गया।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- इसे टेबल करवा देते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये तो पूरा पढ़ा गया है, इसे टेबल करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई है। वे तो आपको जानकारी दे रहे हैं। अब आपको मंत्री जी के जवाब में कोई स्पेशिफिक प्रश्न करना है तो आप प्वाइंटेड प्रश्न करिए न।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, एक भी स्पेशिफिक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप चाहते क्या हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने सारे प्वाइंटेड प्रश्न किया है। एक भी इधर-उधर का प्रश्न नहीं किया है, लेकिन मंत्री जी केवल उसे पढ़ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जितने भी प्रश्न हमने पूछा है, उसका एक का भी जवाब नहीं आया है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- एक मिनट, आपने प्रश्न किया। मंत्री जी ने उत्तर दिया। उनको जो इजाजत मिली होगी कि कितना उत्तर देना है, उतना ही तो उत्तर देंगे न। आप क्यों दबाव डाल रहे हैं? (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ही के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों का मामला है। बड़ा मामला है। इसमें मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें कितना-कितना है, सब दिया हुआ है। मैं तो आपसे केवल यह कहना चाहता हूं और मंत्री जी आपका जवाब नहीं आ रहा है। आप जो जवाब दे रहे हैं न वह उसका एक भी जवाब नहीं है। आप केवल पढ़ रहे हैं और हम केवल उसे सुन रहे हैं।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब तो दिया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक भी स्पेशिफिक जवाब नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब तो पढ़कर ही दिया जायेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आपका एक भी जवाब नहीं आया है। हमने शुरू से पूछा है कि ये जो पोर्टल है, वह पोर्टल गायब क्यों हो गया? आपका जो घोषणा-पत्र जारी होता था, इसमें जब आपके पास सब कुछ है तो मैंने कहा कि 200 करोड़ रूपये की गड़बड़ी क्यों हुई? आपने कितनी दुकानों को सस्पेंड किया, यह आपने अभी बताया न। टोटल कितना दुकान हो गया?

अध्यक्ष महोदय :- और बहुत लोग प्रश्न करने वाले हैं। आप आखिरी में पूछ लेना। अजय जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 600 दुकान का एक आ रहा है, 700 दुकान का एक आ रहा है..।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, ठीक है न। एक साथ बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- 800 दुकान का एक आ रहा है। 3000 दुकान का एक आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आ जायेगा जवाब।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, ये टोटल गड़बड़ियां इसलिए हुई हैं कि चावल की अफरा-तफरी करने के लिए आप लोगों ने इसे बंद किया। जो जांच दुकान की समय पर होनी चाहिए कि चावल के स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सदन की कमेटी बनाकर इसकी जांच करवा लें। यह गरीबों के चावल का मामला है। केन्द्र सरकार से चावल आया है। उस चावल को वो लोग खा गये हैं, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, अजय जी पूछिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी..।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आ जायेगा। सब कोई एक बार पूछ लें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर से 216 करोड़ तो प्रमाणित हो रहा है । जैसा कि आसंदी का निर्देश था कि पूरी दुकानों की जांच हो, जांच हुई या नहीं हुई यह उत्तर से स्पष्ट नहीं है । किस तरह की अनियमितता पाई गई, किसने किया यह भी स्पष्ट नहीं है ? अब यह बता दें कि इसके लिए दोषी कौन है और जो दोषी पाए गए, उनमें से कितने लोगों पर कार्रवाई हुई ? अध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे मांग करते हैं कि यदि 24 तक टेबल नहीं किया गया, चूंकि उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है तो क्या कोई अवधि निर्धारित की जाएगी जिसमें सदन को अवगत कराया जाएगा ? क्योंकि यह व्यवस्था पहले आ चुकी है कि सदन को अवगत कराया जाए । यह आपके ऊपर छोड़ता हूं किंतु अनियमितता स्थापित है तो किस पर कार्रवाई की, कितनी दुकानों की जांच करके, कितनों पर कार्रवाई की ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, राजेश जी ।

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट मंत्री जी, और प्रश्न आ जाए फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पीडीएस चावल सिस्टम कोविडकाल में केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया । मेरे छोटे-छोटे तीन प्रश्न हैं । पहला यह कि जो मांग की गई, उस मांग के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 1 लाख, 385 मीट्रिक टन चावल के हिसाब से भारत सरकार ने कुल 28 लाख, 10,780 मीट्रिक टन चावल दिया । आबादी के आधार पर आपने प्रस्ताव

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया, उस प्रस्ताव के आधार पर चावल का एलॉटमेंट हुआ । जिस परिवार में एक व्यक्ति है, जिस परिवार में दो व्यक्ति हैं, जिस परिवार में तीन व्यक्ति हैं । ये अपात्र कैसे हो गए ? संचालनालय से आदेश निकला कि इन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा । केन्द्र से इनको मिला है । क्या यह चावल जो बचा हुआ है, लगभग 49491 मीट्रिक टन कहां गया, किस कोटे में गया ? क्या राज्य सरकार ने समावेश किया ? दूसरा, 4 साल से जो पीडीएस का चावल जिन राशन दुकानों में रखा है और हम लोग पीडीएस की बात करते हैं । हमारा सौभाग्य था कि पूरे देश के लोग पीडीएस सिस्टम देखने छत्तीसगढ़ आते थे । आज 4 साल में छत्तीसगढ़ में दुकानों में पीडीएस सिस्टम की जिन लोगों को पीडीएस सिस्टम को फॉलो करना था, उन जिला खाद्य अधिकारियों ने किसी दुकान का सर्वे नहीं किया । 4 सालों तक ऑडिट नहीं हुआ है । तीसरा प्रश्न, जिन दुकानों में हजारों मीट्रिक टन चावल रखा है, उन दुकानों का साइज क्या है, कितने बाई कितने की हैं ? छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नियम बनाया था और आपकी जानकारी में होगा, अन्यथा विभाग में होगा कि अगर पीडीएस की दुकानों में भ्रष्टाचार पाया जाएगा, गरीब का चावल खाया जाएगा तो उसके अंतर्गत जेल का प्रावधान था । आपने जितने लोगों के नाम दिए हैं, रायपुर में जितने की जांच हुई, उनमें से किसी से 6 हजार रूपए, किसी से 8 हजार रूपए लेकर उनकी दुकानें बहाल कर दी । यानी हद हो गई है कि चोरी करने वाला चोरी करके चला आए और पैसा पटा दो और बढ़िया दुकान का संचालन करो । यह गरीब का चावल जो छत्तीसगढ़ सरकार को मिला, वह एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और तीन व्यक्ति का चावल कहां गया ? किसके कोटे में रखा है, उसका डिटेल आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है । मेरा आग्रह है कि इसकी एक जांच होनी चाहिए और गरीब का चावल खाने वाला जो भी व्यक्ति हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए । माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गई, चलिए माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्राकर जी के द्वारा पहले पूछा गया है । बचत स्टॉक का दुरूपयोग एवं अनियमितता किये जाने के कारण 227 दुकानों को निलंबित किया गया,181 दुकानों को निरस्त किया गया, 24 दुकान संचालकों पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अधिकारी, कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ?

श्री दयालदास बघेल :- नहीं हुई है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी दुकान की बात बता रहे हैं। जिनकी ड्यूटी है कि दुकानों में अफरा-तफरी न हो, वेरीफिकेशन करें, उनके कारण सारी अनियमितता हुई है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है ? प्रश्न तो यही है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, 20 मिनट हो गए । क्या कार्रवाई कर रहे हैं संक्षिप्त में बता दीजिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसमें आपके निर्देश आ जाएं, इसके लिए अगली तारीख तय कर दीजिए । इसमें उत्तर नहीं आ रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसमें कोई उत्तर नहीं आ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, मंत्री जी को सुन लीजिए ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो स्वीकार किया है कि अनियमितता हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अनियमितता हुई है तो फिर कार्रवाई कब तक होगी?

श्री अजय चंद्राकर :- कार्रवाई कब तक होगी, यह जानना चाहते हैं। हमको अनियमितता मालूम है।

श्री धरमलाल कौशिक :- कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यही तो प्रश्न है। अनियमितता को स्वीकार किया है तो कार्रवाई करिए। कार्रवाई कब तक होगी, यह बताईए।

श्री अजय चंद्राकर :- पूरे प्रकरण की जांच की कार्रवाई कब तक होगी, यह बताईए ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो स्वीकार कर लिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। कार्रवाई से काम चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, आपका निर्देश आना चाहिए। पहले भी आसंदी से निर्देश आए हैं।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे कार्यकाल का नहीं है, उधर का है। यह तो उधर का है, जवाब हम दे रहे हैं। करे कोई, भोग हम रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- कार्यकाल का नहीं है, इस सरकार की कार्यकाल का है।

श्री अजय चंद्राकर :- विषय की गंभीरता को देखते हुए, पहले भी आसंदी से निर्देश आए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, कार्यकाल किसी का हो, मंत्री, मंत्री होता है, सरकार का दायित्व चलता रहता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मेरे कार्यकाल का नहीं है, इसके कार्यकाल का नहीं है।

श्री दयालदास बघेल :- जी-जी।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री यानी आप मंत्री के दायित्व में हैं, राज्य सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या कार्रवाई करेंगे ? यह थोड़ा संक्षिप्त में बोल दें तो यह संतुष्ट हो जाएंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी जब स्वीकार कर रहे हैं कि अनियमितताएं हुई हैं तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। उनका यह उत्तर सही नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे कार्यकाल का नहीं है, यह जवाबदारी उत्तर नहीं है। (व्यवधान) यह गैर जवाबदारी मुंह उत्तर है। यह उत्तर सही नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर हम लोग प्रश्न क्यों लगाते हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्रवाई की घोषणा होनी चाहिए, कार्रवाई कब तक होगी समय बताया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको बता रहा हूं। मंत्री जी के जवाब में आया कि आपने जो प्रश्न उठाया और जो आरोप लगाया उससे मंत्री जी सहमत हैं, यदि मंत्री जी सहमत हैं तो क्या इस पर जांच करायेंगे, किस स्तर की जांच करायेंगे, यह आप बता दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- कब तक करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- कब तक जांच करायेंगे यह बता दीजिए।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ी हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच करायेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- विधान सभा की कमेटी बनाकर जांच करा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, जवाब तो सुन लीजिए। आप बोलिए।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ी हुई है, निश्चित रूप से इसकी जांच करायेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच करायेंगे, यह पर्याप्त नहीं है। पहले आसंदी का निर्देश आया है कि 2024 तक आप रखे हैं। 2024 तक नहीं करवाया गया, यह शासन पक्ष की पहली लापरवाही थी। इसलिए सदन से भी इसकी घोषणा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मांग यह आ रहा है कि क्या विधायकों की समिति बनाकर जांच कराने के लिए सहमत हैं ? इस बात के लिए विधायकों का माननीय धरम जी का दबाव है, सहमत हैं तो आगे बढ़ जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इस बात से सहमत है कि विधायकों की समिति से जांच करवाई जाएगी। आप उसको तय कर लें। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री उमेश पटेल ।

<u>प्रदेश के किसानों से धान खरीदी</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (*क्र. 82) श्री उमेश पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** दिनांक 25 जनवरी, 2024 तक जिलेवार कितनी-कितनी धान खरीदी कर ली गई है एवं पंजीकृत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किसानों का कितना धान खरीदी करना शेष है ? क्या नियत तिथि तक धान खरीदी कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो खरीदी कार्य पूर्ण करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ? **(ख)** क्या खरीदी केन्द्रों में लिमिट कम होने तथा धान का उठाव नहीं होने से किसानों को परेशानी की शिकायत प्राप्त हुई है ?यदि हां, तो लिमिट बढ़ाने एवं उठाव करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ? **(ग)** क्या टोकन लेने में किसानों को कोई परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो किसानों को टोकन आसानी से और सुविधापूर्वक मिले, इसके लिए क्या उपाय किये गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक उपाय कर लिए जायेंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) दिनांक **25 जनवरी, 2024** तक प्रदेश में **1,30,41,320** मे0टन धान की खरीदी कर ली गई है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** †[2] **अनुसार** है। पंजीकृत किसानों द्वारा धान विक्रय हेतु स्वेच्छा से धान उपार्जन केन्द्र में धान लाते है। धान खरीदी हेतु नियत तिथि तक धान खरीदी किया जायेगा, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।**(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।**

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो धान खरीदी इस साल हुई है, उसी पर मेरा प्रश्न है और इस प्रश्न में मैं आपसे संरक्षण भी चाहूंगा। माननीय मंत्री जी आपने जवाब दिया है कि वर्ष 2022-23 की जो खरीदी हुई थी, उसमें टोटल रकबा, जिसमें पंजीकृत किसानों के बेचे गये धान का रकबा, 29.06 लाख हेक्टेयर था और कुल किसानों ने जो धान बेचा, उनकी मात्रा 107.53 लाख मीट्रिक टन था। क्या यह सही है ? आपने उत्तर दिया है तो मैं इसको सही मान रहा हूं। वर्ष 2023-24 जो इस साल की खरीदी है, आपने उत्तर 25 जनवरी तक का दिया है, अभी तो धान खरीदी खत्म हो गयी। टी.व्ही. में जो चल रहा है, पेपरों में चल रहा है कि 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, क्या यह सही है ?

श्री दयालदास बघेल :- सही है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल पंजीकृत किसानों के बेचे गये धान का रकबा कितना है, यह बता दीजिए ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नवंबर का बता देता हूं। नवंबर में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 386, 280....।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या धान खरीदी हो गई तो आपने कहा कि अभी कुल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। आप मुझे यह बता दीजिए कि पंजीकृत किसानों के द्वारा बेचे गये धान का कुल रकबा कितना है ?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय बृजमोहन जी, ज़रा आप मंत्री जी की मदद कीजिए। अभी आपने मदद की थी तो अब मंत्री जी की मदद कीजिए कि कुल कितना रकबा है ?

---

[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के द्वारा पंजीकृत किसानों के द्वारा बेचे गये धान का कुल रकबा पूछा गया है तो पंजीकृत किसानों की संख्या 26.63 लाख है, कुल पंजीकृत रकबा 33.39 लाख हेक्टेयर है और धान बेचने वाले कुल किसानों की संख्या 24.72 लाख है।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, मैं आपसे स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं कि पंजीकृत कृषकों के बेचे गये धान का कुल रकबा कितना है ? आप इस प्रश्न को छोड़कर बाकी सब बता रहे हैं।

श्री दयाल दास बघेल :- 26.63 लाख हेक्टेयर।

श्री उमेश पटेल :- 26.63 लाख हेक्टेयर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वर्ष 2022-2023 में धान की खरीदी हुई थी, उसका रकबा 29.06 लाख हेक्टेयर था। अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर में 26 लाख हेक्टेयर बताया है। यानी 3 लाख हेक्टेयर कम है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं। माननीय विधायक जी, यह कम नहीं है। अभी तो धान खरीदी जारी है और जारी है इसलिए...। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी बंद हो गई है, अभी जारी नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में अभी धान खरीदी बंद हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- यह क्या हो रहा है, प्रभु? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में कितना सीरियसनेस है, यह संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर से समझ में आ रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ठीक है।

श्री उमेश पटेल :- यह सरकार धान खरीदी और किसानों के मामले में कितनी सीरियस है और कितनी सीरियस नहीं है, यह आपके उत्तर से समझ में आ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3 लाख हेक्टेयर रकबा कम हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कहां कम हुआ है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी ने उत्तर में 26 लाख हेक्टेयर के आसपास बताया है और पिछले साल 29 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान की खरीदी हुई थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं हुई है।

श्री उमेश पटेल :- आपके प्रश्न में यह उत्तर आया है।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय उमेश जी, पिछली बार धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी और इस बार 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित कर दी गई है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रकबे की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे आपका संरक्षण मिलेगा? क्या मुझे यह बताया जाएगा कि उत्तर किसके द्वारा दिया जाएगा ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, यदि किसी के पास 10 एकड़ जमीन है तो उसके 8 एकड़ के रकबे में ही 21 क्विंटल धान का उत्पादन हो जाता है। पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी और इस बार 1 करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी सक्षम नहीं हैं ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो क्या आप इस सदन को आदेशित करेंगे कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर किससे मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल। मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- जी, मैं वही बात कह रहा हूं और मैं मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कर रहा हूं। ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं, अपनी बात रखिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री दयाल दास बघेल जी विभागीय मंत्री हैं और उनको जवाब देना है और उनके बगल में उपमुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं। हम इस सदन में पहली बार इस प्रकार से देख रहा हैं इसलिए आप निर्देशित कीजिए कि उपमुख्यमंत्री जी बैठ जाएं या फिर वह अपनी आसंदी पर बैठे हुए स्वयं जवाब दे दें। लेकिन इस प्रकार से।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं ? यदि आपका निर्देश होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं निर्देशित कर देता हूं। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसको पूछिये। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, क्या आप उत्तर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए, फिर यदि आपका कोई अतिरिक्त प्रश्न हो तो उसको पूछ सकते हैं।

श्री उमेश पटेल :- ठीक है। आप जैसा निर्देश देंगे।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25.01.2024 तक 1 लाख 63 हजार टन धान खरीदी की गई, किसानों की संख्या 26.63 लाख है और पंजीकृत रकबा 33.40 लाख हेक्टेयर है। दिनांक 04.02.2024 तक किसानों की कुल संख्या 26.63 लाख है, पंजीकृत रकबा 33.39 लाख हेक्टेयर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। 4.2.2024 तक 24.72 लाख किसानों ने धान बेचा है । बेचे गए धान का रकबा 25 जनवरी तक 25.13 लाख हेक्टेयर और 4 फरवरी तक 27.92 लाख हेक्टेयर रकबे का धान खरीदी गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- काफी डिटेल उत्तर आ गया ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सहमत हूं कि पिछली बार जो धान बेचा गया था, उसका रकबा 29.60 था और इस बार जो धान बेचा गया है, उसका रकबा 27. जो भी मंत्री जी ने बताया । 2 लाख हेक्टेयर रकबे का कम धान बेचा गया है । आप छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखेंगे तो पूर्ववर्ती सरकार से हर साल खरीदी में धान का रकबा बढ़ा है । यह पहला साल होगा, जिसमें खरीदी कम हुई है । मैं अनुपात की बात कर रहा हूं क्योंकि इस साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हुई है और पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी होती थी । अगर उस अनुपात में देखेंगे तो इस बार धान की खरीदी कम हुई है । अब मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि चूंकि आपके उत्तर से पता चल गया है कि धान की खरीदी कम हुई है तो इसका कारण आप बताना चाहेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 में 27.93 लाख हेक्टेयर रकबा का धान खरीदी जा चुका है । बजट साल से रकबा कम है । धान बेचने वाले किसान 24.72 लाख किसान हैं । वर्ष 2021-22-23 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 23.42 लाख थी । इस वर्ष 1.30 लाख ज्यादा किसानों ने धान बेचा है ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, रूकिए ।

अध्यक्ष महोदय :- सारी बातें आ गई हैं ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए, किसानों का मामला है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का औचित्य क्या है ? इस सरकार ने आपसे ज्यादा धान खरीदा है और अभी भी धान खरीद रही है ।

श्री उमेश पटेल :- आपने अनुपात में कम धान खरीदा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपसे ज्यादा धान खरीदा है और इस प्रश्न का तो कोई औचित्य ही नहीं है । इन्होंने 1 करोड़, 20 लाख टन धान खरीदा और अभी तक सरकार 1 करोड़, 43 लाख टन धान खरीद चुकी है । आप लोग किसानों का धान खरीदते नहीं थे ।

अध्यक्ष महोदय :- दो-तीन सदस्य और प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल किसानों ने जो धान बेचा, उसका रकबा कम है । अब सवाल यह उठता है, यह ठीक है कि पिछले समय 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होती थी, उसको 20 क्विंटल करने के बाद फिर 21

क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी कर दी गई तो आपके जो उपार्जित धान है, वह 140 लाख मेट्रिक टन से अधिक गया है, लेकिन आपने जवाब दिया है कि 36 लाख, 63 हजार किसान रजिस्टर्ड हैं और 23 लाख, 29 हजार किसान ही धान बेचे हैं । इसका मतलब यह है कि धान खरीदी में पिछले समय से रकबा भी कम हुआ है और किसानों की संख्या भी कम हुई है । चूंकि आपने 4 फरवरी तक धान खरीदी का समय बढ़ाया, लेकिन उसमें अभी तक जो सूचना मिल रही है कि अभी भी बहुत सारे किसान धान नहीं बेच पाये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि रकबा भी कम बता रहे हैं, किसानों की संख्या भी कम बता रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी सदन में घोषणा करेंगे कि धान खरीदी के समय में वृद्धि की जाएगी, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि अभी धान खरीदी चल रही है । इसे जारी रखेंगे क्या ? (मेजों की थपथपाहट)

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी का कार्य समाप्त हो चुका है और हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

श्री दिलीप लहरिया :- किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश से सूचना आ रही है कि किसान अभी तक धान नहीं बेच पाये हैं । चाहे महासमुन्द जिला हो, चाहे जांजगीर जिला हो, चाहे बालोद जिला हो । बहुत सारे जिलों से किसानों की शिकायतें आ रही हैं कि हमें टोकन नहीं मिल रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधी की बात है । ये आंकड़ें हैं। मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पिछले समय से धान का रकबा भी कम है और किसानों की संख्या भी कम है। अभी लगातार, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख तक खरीदी बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन किसानों को टोकन नहीं मिला है, यह भी शिकायतें मिली हैं। दूसरी तरफ यह भी हुआ है कि बालोद जैसे जिले में 56 सोसायटी ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की जगह भाषण हो रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो संक्षिप्त में बता रहा हूं। (व्यवधान) इस प्रकार से शिकायतें मिली, मैं बता रहा हूं। मैं जानकारी दे रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोगों किसानों को धोखा दे रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- आप अपने कार्यकाल में रो रोकर भाषण देते थे या क्या करते थे ?

श्री भूपेश बघेल :- इस प्रकार से शिकायतें मिलीं, मैं आपको बता रहा हूं। आपने कह दिया कि आपने आनावरी रिपोर्ट के आधार पर अधिक धान कैसे खरीद लिया ? आपने नोटिस भी दिया है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि किसानों की लगातार शिकायतें हैं। मैंने इस बारे में कुछ जानकारी दी तो क्या माननीय मंत्री जी धान खरीदी के समय में वृद्धि करेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट। मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया है कि समय नहीं बढ़ायेंगे, इसलिए यह विषय समाप्त होता है। आप आगे बढ़िये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश के किसानों का सवाल है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 24 लाख 72 हजार किसानों के साथ छल किया जा रहा है। किसानों के साथ छल किया जा रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में किसान धान बेचने के लिए लाईन लगाये खड़े हैं। उनको भुगतान भी नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हैं। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा करें कि धान खरीदी के समय में वृद्धि की जाये।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर ने लिखकर दे दिया है कि कोई भी किसान धान बेचने के लिए नहीं बचा है। (व्यवधान) हम कलेक्टर का लिखा मानेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अभी घोषणा कर दीजिये कि धान खरीदी के समय में वृद्धि किया जायेगा।

श्री दयालदास बघेल :- कलेक्टर ने प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है कि कोई भी किसान धान बेचने के लिए नहीं बचा है।

श्री भूपेश बघेल :- अभी हजारों किसान धान बेचने के लिए बचे हुए हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी भी बहुत से किसानों का धान नहीं बिका है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी इसलिए कम हुआ है कि इनके तहसीलदार द्वारा प्रबंधकों को चमकाया गया है कि आप किसानों से समर्थन.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- आप बेवजह आरोप लगा रहे हैं, आप बेवजह आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंधकों को कहा गया है कि किसानों (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप गलत आरोप लगा रहे हैं, कहीं से शिकायत नहीं मिला है। (व्यवधान) हम भी सरगुजा में हैं, कोई शिकायत नहीं है।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : गलत आरोप लगाया जा रहा है। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री भूपेश बघेल :- यह सरकार किसान विरोधी है और किसानों का धान नहीं खरीद पा रही है। इसलिए बहिर्गमन करते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

11.58 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा धान खरीदी के समय में वृद्धि नहीं किए जाने के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन किया गया)

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछली सरकार से ज्यादा धान खरीदा है। किसी किसान की कोई शिकायत नहीं है कि उसने धान नहीं बेचा है। परन्तु उसके बाद भी विपक्ष के लोग कोई स्पेसीफिक बात नहीं कह रहे हैं और जबर्दस्ती बहिर्गमन कर रहे हैं। मैं तो हमारी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसने ज्यादा धान खरीदा है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय : चलिये, अब प्रश्न में आ जाईये।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

प्रदेश में पंजीकृत कृषकों से धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 2) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में वर्ष 2021-2022 से दिनांक 25 जनवरी, 2024 तक प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत कृषक हैं ? पंजीकृत कृषकों में से कितने कृषकों का, कितने रकबे का, कुल कितना धान वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में खरीदी किया गया ? धान खरीदी के एवज में उक्त कृषकों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है? जिलेवार -वर्षवार बतावें ? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अवधि में किन-किन जिलों से धान खरीदी में अनियमितता एवं बारदाना की कमी तथा समय पर भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त हुई ? कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई एवं कितनी लंबित हैं ? **(ग)** अन्य राज्यों से भी क्या छत्तीसगढ़ में धान आयातितकर विक्रय किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?यदि हॉं, तो उसकी जिलावार पूर्ण जानकारी देवें ? इस हेतु दोषियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ? क्रय की गयी कितनी मात्रा के धानों का कस्टम मिलिंग दिनांक 25.01.2024 तक पूर्ण कर दिया गया है, कितना शेष है एवं शेष होने के कारण भी बतावें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** प्रदेश में वर्ष 2021-2022 से दिनांक25जनवरी,2024 तक प्रदेश में कुल पंजीकृत कृषक,पंजीकृत कृषकों में से धान बेचने वाले कृषक,बेचे गये धान का रकबा की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र	वर्ष	पंजीकृत कृषको की संख्या (लाख में)	धान बेचने वाले कृषको की संख्या (लाख में)	पंजीकृत कृषको के बेचे गए धान का रकबा (लाख हेक्टेयर में)	कृषको से धान खरीदी की मात्रा(लाख मे. टन में)	भुगतान की गयी राशि (करोड़ में)
1	2021-22	24.05	21.77	26.48	97.99	19039.39
2	2022-23	24.97	23.42	29.06	107.53	23501.68
3	2023-24(दिनांक25-01-2024की स्थिति में)	26.63	23.29	25.13	130.41	27981.52

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में धान खरीदी के एवज में कृषकों को भुगतान राशि की जानकारीसंलग्न प्रपत्रअनुसार है ।**(ख)** प्रश्नांक**(क)** अवधि में बालोद, सक्ति,महासमुंद, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगाँव, कवर्धा, बिलासपुर, गौरेला-पेंडरा-मरवाही, मुंगेली, कोरबा, बस्तर, बलरामपुर, रायगढ़, कांकेर, सूरजपुर एवं सुकमा जिलों से धान खरीदी में अनियमितता एवं बारदाना में कमी तथा समय पर भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त कुल 153 शिकायतों पर कार्यवाही की गयी है एवं कार्यवाही हेतु लंबित शिकायत निरंक है । **(ग)** जी नहीं। अतः जिलेवार जानकारी एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। खरीफ वर्ष 2021-22से दिनांक25-01-2024तक क्रय किये गए धान की कस्टम मिलिंग की जानकारी निम्नानुसार है :-

(लाख मे. टन में)

क्र	वर्ष	कस्टम मिलिंग हेतु धान प्रदाय की मात्रा	रिमार्क
1	2021-22	97.30	कस्टम मिलिंग का समयावधि समाप्त हो चुकी है।
2	2022-23	107.46	कस्टम मिलिंग का

			समयावधि समाप्त हो चुकी है।
3	2023-24(दिनांक25-01-2024की स्थिति में)	87.60	धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

समिति/संग्रहण केन्द्र स्तर पर सूखत/कमी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण क्रमांकPIL No. 75/2022अजय चंद्राकर एण्ड अन्य विरूद्ध छ.ग. शासन एण्ड अन्य प्रचलित है

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा मोटा धान और पतला धान का जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, वह कितना है ? आपने कितना धान खरीदा और किसानों के द्वारा कितना धान बेचना शेष है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के द्वारा धान का समर्थन मूल्य पूछा गया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मोटा पतला धान ?

श्री दयालदास बघेल :- मैं मोटा पतला धान का बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, हमने आज स्थगन की सूचना दी है । यह प्रदेश के किसानों से संबंधित है । प्रदेश का किसान अपने धान के पैसे के लिये मारा-मारा फिर रहा है, बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, लम्बी-लम्बी लाईन में खड़ा है और उसके साथ जो छलकपट हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कर रहे हैं, बैंको के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, छलकपटपूर्ण व्यवहार करके उनके पैसों को नहीं दिया जा रहा है, इसलिये हम लोगों ने स्थगन की सूचना दी है । हम चाहते हैं कि आप उसको ग्राह्य करें, ताकि उस पर चर्चा हो सके ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, इसमें एक भी स्पेसिफिक बात को नहीं कहा गया है, एक भी किसान ऐसा नहीं है, जिसका धान न खरीदा गया हो । जो स्थगन प्रस्ताव होता है, उसमें स्पेसिफिक जानकारी दी जाती है, इसमें किसी भी प्रकार से एक भी किसान का नाम कि इस किसान का धान नहीं खरीदा गया है, इस किसान को भुगतान नहीं हुआ है, जब तक कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, वेब जानकारी के आधार पर कोई स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, अत: मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको अस्वीकार करें...।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश के किसानों का मामला है...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- खाली वेब पेपर कटिंग के आधार पर, वेब जानकारी के आधार पर किया है, कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है । जब कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है तो सरकार क्या जवाब देगी ? इसके ऊपर में कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रश्नकाल हुआ है, उसी से यह स्पष्ट हुआ कि रकबा कम हुआ है । अगर रकबा कम हुआ है तो जो धान बेचना चाहिये था, उसे किसान नहीं बेच पाये हैं । चूंकि यह विधान सभा में चर्चा के दौरान प्रूफ हुआ कि आनुपातिक रूप से धान खरीदी कम हुई है, इसलिये किसान चाहे जांजगीर की बात करें या चाहे बालोद की बात करें, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, जो इन्होंने लगाया था, समर्थन मूल्य में जो खरीदी हुई है, उसमें कई लोगों का भुगतान बचा है । अभी आपका प्रश्न पूरा चलता तो खुलकर बताते कि कितने लोगों के भुगतान की कमी हुई है ? इसी तरह से खरीदी में कमी हुई है । अध्यक्ष महोदय, यह अलग-अलग मुद्दे हैं । सिर्फ धान खरीदी नहीं, बोनस के मामले में भी जो घोषणायें थी, दूसरे सालों के बोनस का वितरण कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, जो पूर्ववर्ती सरकार थी...।

अध्यक्ष महोदय :- आपका विषय आ गया है ।

श्री उमेश पटेल :- राजीव गांधी न्याय योजना जो जारी था, वह राजीव गांधी न्याय योजना के तहत...।

अध्यक्ष महोदय :- इतने सारे विषय को एक साथ मत जोड़िये । स्पेसिफिक विषय पर अपनी बात कहें । चलिये मैडम आप बोलिये ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये भी आवश्यक है कि माननीय मंत्री जी के द्वारा जो रकबे का आंकड़ा दिया गया है, वह आंकड़े भी सही नहीं है, मृतकों के नाम के रकबा को दूसरे व्यक्ति के रकबा में फर्जी करवाया है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं । एक व्यक्ति के द्वारा एक रकबा में दो-दो बार धान बेचा गया है, प्रदेश में ऐसी घटना हुई है और उस रकबे में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गई ।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, यह पहला साल है जब 15 एकड़ प्रति क्विंटल धान खरीदी को बढ़ाकर 21 क्विंटल किया गया है ।

श्री भूपेश बघेल :- यह शून्यकाल है । माननीय मंत्री जी को प्रक्रिया मालूम होना चाहिये ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- उसके पास 10 एकड़ खेत है, उसकी उत्पादकता अगर 18 क्विंटल है...।

अध्यक्ष महोदय :- अभी स्थगन पर चर्चा नहीं हो रही है । यह शून्यकाल है । शून्यकाल में माननीय सदस्यों को एक-एक मिनट में अपनी बात रखने का अधिकार है । आप रखिये ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मंत्री जी आपके पढ़ने से पहले जवाब देना शुरू कर दिये । ट्रेजरी बैंक यह स्वीकार कर लिये हैं कि वह जवाब देना चाहते हैं । मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है । आप प्रक्रिया में आ जायें ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपनी बात एक-एक करके संक्षिप्त में रखिये । शून्यकाल है, यह बहुत महत्वपूर्ण समय रहता है । शून्यकाल में विधायकों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है । मैं आपको समय दे रहा हूँ । कृपया एक-एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जांजगीर-चांपा जिले के विषय में बात करना चाहूंगा। वहां आज भी 4,478 किसान ऐसे हैं, जो अपना धान नहीं बेच पाये हैं (शेम-शेम की आवाज) (मेजों की थपथपाहट)। वहां 1,22,826 किसान पंजीकृत थे और 1,18,348 किसान ही अपना धान बेच पाये हैं। अभी-भी 18 लाख क्विंटल से अधिक धान का उठाव नहीं हो पाया है। मात्र कुल 64,04,390 क्विंटल धान की खरीदी की गयी है। अभी-भी धान की खरीदी नहीं होने से सरकार को धान का जो लगभग 08 करोड़ का कर्जा वसूलना था, सरकार वह वसूल नहीं पायी है। यह गंभीर विषय है। किसान अभी इतने तकलीफ में है कि एक ही बैंक में 27 हजार खाताधारक है और रात को 12.00-01.00 बजे

तक जूते-चप्पल की लाईन लगाकर पैसा निकाल रहे हैं। (शेम-शेम की आवाज) अध्यक्ष महोदय, इसकी तत्काल व्यवस्था की जाये।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिला में अभी तक लगभग 56 सोसाइटियों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपने अनावरी रिपोर्ट के आधार को नजरंदाज करते हुए इतना ज्यादा धान कैसे खरीद लिया। आज उसी के कारण समिति प्रबंधक किसानों से कह रहे हैं कि जब तक शासन स्पष्ट नीति जारी नहीं करता, तब तक हम लोग धान नहीं खरीदेंगे। यह लाखों किसानों के साथ अन्याय है। बालोद जिला कृषि प्रधान जिला है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके इसमें चर्चा कराई जाये।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और जिस तरीके से लगातार खेती किसानी बढ़ती जा रही है, उससे वर्तमान समय में किसानों की समस्या बहुत बड़ा रूप ले रही है और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में किसानों को उनके धान की जो राशि मिलनी चाहिए, उन्हें वह राशि नहीं मिल रही है। आज भी पूरे प्रदेश में जो किसान धान की राशि मिलने से वंचित है, जो अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। उसके साथ-साथ पिछले दो से ढाई महीनों में किसानों की समस्याएं लगातार इतनी बढ़ चुकी है कि उनको देखने वाला, पूछने वाला और समझने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि किसानों के इस महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन ग्राह्य किया जाये और उस पर चर्चा कराई जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गई।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, अभी जो बात हो रही थी कि धान खरीदी के लिये जो चार दिन बढ़ाये गये थे, उसमें सभी किसानों का धान खरीद लिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जांजगीर-चांपा जिले के संदर्भ में यह बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वहां पहले तो टोकन नहीं काटे जा रहे थे और बाद में जब टोकन काटे गये तो जिन-जिन को टोकन काटा गया, बार-बार उनके घरों तक जाकर उसकी चेकिंग की गयी। (शेम-शेम की आवाज) मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ब्लॉक आते हैं, एक बलौदा और दूसरा अकलतरा। बलौदा में अभी-भी 11,725 किसान हैं लेकिन अगर भुगतान की बात करें तो सिर्फ 08 हजार किसानों को आंशिक भुगतान हुआ है। अकलतरा के बैंक में 50 प्रतिशत किसानों को भी भुगतान नहीं हुआ है। वहां बैंक में लगभग 197 करोड़ रूपये है, जहां अभी तक सिर्फ 66 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है और लगभग बिलासपुर संभाग के सभी बैंकों की यही हालत है। किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। यदि हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले 03 दिनों में खाते में पैसा आ जाता था, वह पैसा भी अभी तक किसानों के खाते में नहीं पहुंचा है। वे दर-दर भाग रहे हैं और रात-रात भर बैंक के सामने लाईन लगाकर खड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छे। एक बार जो विषय आ गया, उसका बार-बार रिपीटिशन हो रहा है। यह शून्यकाल है। यदि सम्मानित सदस्य संक्षिप्त में अपनी बात को रखेंगे तो आपके क्षेत्र का विषय भी आ जायेगा और मैं बाकी सदस्यों को भी अवसर दे पाऊंगा। इसलिये बहुत लम्बा विषय न लेकर एक-एक बिंदु में आप अपनी बात रखेंगे तो बेहतर होगा।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था कि आप हमारा स्थगन स्वीकार कर लें, ताकि हम इस पर पूरी चर्चा कर ले कि क्या-क्या समस्याएं हैं। इससे समय भी बचेगा और आपको भी तकलीफ नहीं होगी। आप स्थगन को स्वीकार कर लीजिये, फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जी, जी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात पर भी प्रकाश डाल दीजिये कि पंचायत में पैसे के आहरण की व्यवस्था कब तक की जायेगी ।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में जो बैंक है, वहां के किसानों का फोन आ रहा था कि किसानों के घरों में शादी है लेकिन उनको बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है। रात के 10.00 बजे तक लम्बी लाईन लगाने के बाद भी जिनको 50 हजार रूपये मिलना था, उनको 20 हजार रूपये देने की बात कही गयी, वह भी उनको लाईन लगाकर लेना पड़ रहा है। एक किसान का फोन आया था कि उसको लड़की की शादी करनी है। शादी का मुहूर्त है, उस किसान के खाते में पैसे हैं, लेकिन उसको पैसा नहीं मिल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग किसानों को आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर रहे हैं ? (शेम-शेम की आवाज)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलिये।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तुरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने घोषणा पत्र में कहा था कि धान का एकमुश्त 3100 रूपये दिया जायेगा। इस एकमुश्त राशि के लिये किसान भाई चिंतित है और दूसरा, हमारे मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में कई लोग तो सोसाईटी में ही सो रहे हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसलिये इस विषय में चर्चा होनी चाहिए।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिंहावा):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धान खरीदी के विषय में बोलना चाहती हूँ कि अभी धान खरीदी के लिए 31 जनवरी से 4 फरवरी, 2024 तक समय बढ़ाया गया था। चूंकि धान खरीदी नहीं की गई और 31 जनवरी को सर्वर डाऊन है, ऐसा कहकर उन्हें रोक दिया गया। वहां मण्डी में गाड़िया खड़ी थीं और जब तक एस.डी.एम.कार्यालय से निर्देश नहीं मिलेगा, तब तक उनकी धान खरीदी नहीं की जाएगी, ऐसा कहा गया। इससे किसानों को अपना धान, खरीदी के लिए रोकना पड़ा। वहां बहुत से किसानों की धान खरीदी नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इसलिए इस स्थगन पर चर्चा करायी जानी चाहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़):- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अभी 31 जनवरी आखिरी तारीख दी गई थी। फिर उसके बाद 4 फरवरी, 2024 तक समय बढ़ाया गया। इन तारीखों में न तो धान खरीदी की गई और न ही टोकन काटा गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि पहले जो किसान धान बेच चुके हैं, उन किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। अभी माघ का महीना है। हमारे आदिवासी समाज और सभी वर्गों में शादी ब्याह का समय चालू हो गया है। इस प्रदेश में धान खरीदी न होने से उनके पास शादी के लिए पैसा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वह बैंक में जाते हैं तो उसमें पैसा होने के बाद, किसानों को 5 हजार, 4 हजार रूपये दिया जा रहा है। बैंकों में लम्बी लाईनें लग रही हैं। यह एक बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पर हमारे किसानों की समस्या को देखते हुए, चर्चा करायी जाए ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो सके। उन्हें सही समय में उनका भुगतान मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है और धान खरीदी का कार्य पूरा हो चुका है। जिस प्रकार से सरकार ने आदेश दिया है हालांकि अभी तक हजारों किसान ऐसे हैं जो अपना धान नहीं बेच पाये हैं और अभी उन्हें भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। उनके रकबे में भी कटौती कर दी गई है। किसानों के घर में अधिकारी छापे डाल रहे हैं और अधिकारियों को नोटिस दी जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए हमने यह स्थगन दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस सत्र का पहला स्थगन है। मैं समझता हूँ कि आप इसे कृपापूर्वक ग्राहय करके, इसमें चर्चा कराएं। आप इसकी ग्राहयता में चर्चा कराएं या इसे ग्राहय करके चर्चा कराएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री बालेश्वर साहू (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धान खरीदी के विषय में ही बोलना चाह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कुछ किसान रहते हैं जिनके घर में विवाद या शिकायत हो जाती है। वह शिकायत तहलीदार और एस.डी.एम. के पास जाती है, लेकिन पूरी धान खरीदी के दौरान सिर्फ दौरा किया है और छापेमारी हुई, लेकिन किसानों के प्रकरणों का निराकरण नहीं किया है। तहसीलदार ने सोसायटी प्रबंधकों को लिखकर दे दिया कि जब तक इन किसानों के प्रकरण का निराकरण नहीं होता है तब तक इनका धान नहीं खरीदना है। आज भी वह किसान अपने घर में धान रखा हुआ है। उनके

प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाया है। क्या वह किसान अपना धान बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे । वह शासन की योजना का लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। क्या वह किसान अपना धान मार्केट में बेचेंगे या सोसायटी में बेचेंगे ? उसके लिए कुछ तिथि निर्धारित होगी। जिन किसानों की पर्ची में विवाद है। हमारी सरकार के समय में दो भाईयों में विवाद रहता था तो दोनों के नाम से धान बेच सकते थे, लेकिन आज वह स्थिति नहीं बन पायी। वह किसान अपना धान नहीं बेच पाया, उन्होंने अपने घर में धान रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए कि गिरदावरी के दौरान किसान के रकबे में धान नहीं लिखा है, उसमें सब्जी लिख दी गई है वह यदि सब्जी लगाता है। अगर उसके आवेदन लगाने के बावजूद भी, पटवारी ने उसमें संसोधन नहीं किया है तो वह किसान क्या करेंगे ? वह भी वंचित हैं। इस शासन की यह योजना है कि 3100 की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी होना है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उन सब किसानों को धान मार्केट में बेचना है या वह प्रकरण के निराकरण का इंतजार करें ?

अध्यक्ष महोदय :- यह शून्यकाल है। आप इस विषय में बहुत बोल चुके हैं। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सम्माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सूचना दी है। मैंने माननीय सदस्यों की बातें सुनीं। मैं, आपको बताना चाहूंगा। माननीय नेता जी बैठ गये हैं। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष और इस विषय पर बोलना चाहें तो वे अपनी बात रख सकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके जितने साथी इधर बैठे हैं, उनको दिखाना चाहता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, उनके साथी कैसे इधर बैठे हैं? क्या आप उनके साथी नहीं हैं?

डॉ. चरणदास महंत :- मैं तो उनका अपना हूं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने ऐसे कैसे कह दिया कि उनके साथी इधर बैठे हैं?

डॉ. चरणदास महंत :- मैं उनका अपना हूं। मैंने आपको बोला है। आप सुन लीजिए छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी।

अध्यक्ष महोदय :- आज अजय जी, कोई बात मत करिये। आज ये विशेष मूड मे हैं। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- यह आप लोग देख लीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि यह दिखाना उचित है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, विशेष मूड में ही पहले दिन की शुरूआत पर्चा दिखाकर कर रहे हैं। मेरे पास में इतनी क्षमता है, मैं पर्चा दिखा रहा हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- यह मोदी जी की गारंटी है। यह मेरा नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो भी हो, आप पर्चा तो दिखा रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- मोदी जी की गारंटी का दिखा रहा हूं। अपनी गारंटी का नहीं दिखा रहा हूं। आपने यहां पर कृषक उन्नति योजना लिखा है। चन्द्राकर जी, आप यहां देखिये न। मेरी तरफ भी देख लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, आपके पास दिखाने लायक कुछ नहीं है नहीं तो मैं जरूर देखता।

डॉ. चरणदास महंत :- मेरे पास बहुत कुछ है, आप देखने तो आईये।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय एक मिनट, आप लोगों के पास वारंटी थी, हम लोगों के पास गारंटी है।

डॉ. चरणदास महंत :- ठीक है। उसी गारंटी में आपने लिखा है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपये में की जायेगी। आप लोगों ने पढ़ा है ? दूसरे में लिखा है कि किसानों का पैसा.. ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है। वह अपने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार क्यों किया जाये, इस बात को कह सकते हैं। जिस प्रकार से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी पढ़कर सुना रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं। सामान्यत: इस सदन में स्थगन को क्यों स्वीकार किया जाये, इसके बारे में चर्चा होती है। अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है। मैं तो आपसे इस बात का भी आग्रह करूंगा, क्योंकि अभी धान की चर्चा प्रश्नकाल के माध्यम से हुई। इसके बाद में हमारे पास में बजट चर्चा में पर्याप्त समय है जिसके ऊपर में हम चर्चा कर सकते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर, सामान्य बजट पर हम चर्चा कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसको आप अस्वीकार करें। माननीय नेता जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, आपमें क्षमता नहीं हैं, ये मैं नहीं मानूंगा। परंतु आप जिस प्रकार से उसको दिखा रहे हैं, अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है। इसलिए आप इसका प्रदर्शन नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप समाप्त करिये।

डॉ. चरणदास महंत :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी गारंटी पर चर्चा कर रहा हूं। उसमें आपने लिखा है कि किसानों का पैसा बिना लंबी कतारों के एक ही किश्त में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत भवन में बैंकों के नगदी आहरण काउंटर स्थापित होंगे। आप बता दीजिए आपने इतने दिन में कौन से पंचायत में बैंकों के काउंटर स्थापित किया ? इसलिए हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग नये-नये हैं, सिर्फ उस बात को टालना चाहते हैं। किसान लोग परेशान हैं, यहां गरीब किसान कौन है ? लघु कृषक हैं, छोटे-छोटे किसान हैं। आप सुनना नहीं चाहते। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को सुनिये। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुनने के लिए आप हमारे इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- प्रदेश में धान खरीदी की व्याप्त अव्यवस्था को लेकर मुझे डॉ. चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई। मैंने माननीय सदस्यों की बात भी सुनी। स्थगन प्रस्ताव के विषय पर संबंधित ध्यानाकर्षण की सूचना मुझे पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। चूंकि ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हो चुकी है और उस ध्यानाकर्षण को ग्राह्य कर लिया गया है। विषय महत्वपूर्ण है, किसानों से जुड़ा हुआ है। मैं ध्यानाकर्षण की सूचना के समय सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय दूंगा। मैं स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं देता, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों के हित का मामला है। स्थगन सारे विधायकों ने दिया है। चूंकि आप ये मानते हैं कि यह किसानों के हित से जुडा हुआ मामला है। इसमें चर्चा होनी चाहिए। ध्यानाकर्षण में दो-तीन सवाल ही पूछे जा सकते हैं, दो-तीन विधायक ही पूछ सकते हैं। लेकिन स्थगन में सारा सदन सत्तापक्ष के भी विधायक अपनी बात रख सकते हैं, हम लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे ग्राह्य करके चर्चा करायें। हमने आसंदी से निवेदन किया है कि इस स्थगन को ग्राह्य करके चर्चा करायें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह किसानों के हित का मामला है।

श्री भूपेश बघेल :- चूंकि माननीय वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी ने जवाब देना शुरू कर दिया था।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- नेता प्रतिपक्ष जी, अध्यक्ष जी ने निर्णय दिया है, उस पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री भूपेश बघेल :- भाई, हम आग्रह कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप आसंदी को निर्देश कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप चर्चा से भाग रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। आप ग्राह्य करवाईये। हम चर्चा करना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसानों के विषय पर चर्चा से भाग रही है। हम चाहते हैं कि यह सारे विषय पर चर्चा हो।

श्री उमेश पटेल :- जरूर-जरूर।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह किसान विरोधी सरकार है। यह सरकार न किसानों की धान खरीद रही है, न ही भुगतान कर ही है।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप लोगों ने धान के विषय में प्रश्न किया है। ई.डी. जांच कर रही है।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा लगातार परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- प्रकरण और विषय समाप्त करने के लिए सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(12.23 से 12.41 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12.41 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि निवेदन किया था कि आज इस सदन का पहला दिन है और पहले ही दिन आप लोग मोदी की गारंटी की बात ही नहीं सुन रहे हैं । उनकी गारंटी फेल हो रही है । आपने 145 लाख टन धान खरीदी कर ली । यह बहुत अच्छी बात है । लगभग 24 लाख 72,000 किसान हैं । मात्र 400 भुगतान केंद्र हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाईंट ऑफ ऑर्डर है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक भी पंचायत पर भुगतान केंद्र नहीं खोला । 3166 करोड़ 51 लाख का भुगतान होना है और 25,000 नगद भुगतान होना है । बाकी राशि तो ऋण वसूली में चली जायेगी । उसके बाद केंद्र में आपके द्वारा जो भुगतान की राशि के लिये पंचायत पर आपको भुगतान केंद्र खोलना है वह नहीं खोले हैं । किसान परेशान हैं, धान बाकी है । आपने स्वीकार किया है कि 3 लाख हैक्टेयर बाकी है । आप हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं इसलिये हम सब लोग आज की कार्यवाही से बहिष्कार करना चाहते हैं । धन्यवाद ।

समय :
12.43 बजे **बहिष्कार**

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं किये जाने के विरोध में

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं किये जाने के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठ जाईये । मुख्यमंत्री, श्री विष्णुदेव साय ।

समय :
12.43 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 पटल पर रखता हूं ।

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 07-37/2022/32, दिनांक 6 सितम्बर, 2023

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 07-37/2022/32 दिनांक 6 सितम्बर, 2023 पटल पर रखता हूं ।

समय :
12.44 बजे **कार्यमंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन**

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 5 फरवरी, 2024 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिये समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई जो इस प्रकार है :-

1. **वित्तीय कार्य** -

(1) वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण, मंगलवार, दिनांक 6 फरवरी, 2024 को रखा जाये तथा इस पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है ।

(2) वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक का उपस्थापन शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी, 2024 को मध्याह्न 12:30 बजे किया जायेगा तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024 एवं मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024 को होगी।

(3) बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 से सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। तत्पश्चात् विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जायेगा।

(4) मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

2. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :-

			निर्धारित समय
(1)	श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री	-	3 घंटे
(2)	श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री	-	3 घंटे
(3)	श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री	-	2 घंटे
(4)	श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री	-	3 घंटे
(5)	श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री	-	2 घंटे
(6)	श्री दयालदास बघेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री	-	2 घंटे
(7)	श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री	-	2 घंटे
(8)	श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	-	1 घंटा
(9)	श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	-	2 घंटे
(10)	श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री	-	2 घंटे
(11)	श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री	-	1 घंटा
(12)	श्री टंक राम वर्मा, राजस्व मंत्री	-	2 घंटे

3. <u>विधि विषयक कार्य :-</u>

(1) छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024	-	30 मिनट
(2) छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024	-	30 मिनट
(3)छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024	-	30 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 से मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024 तक भोजन अवकाश नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :
12.48 बजे **राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के जुलाई, 2023 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से 3 विधेयकों पर तथा षष्ठम् विधान सभा के दिसंबर, 2023 सत्र में पारित 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयक का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- पंचम विधान सभा के जुलाई, 2023 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से 3 विधेयकों पर तथा षष्ठम् विधान सभा के दिसंबर, 2023 सत्र में पारित 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

समय :
12.49 बजे **5. सभापति तालिका की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

1. श्री विक्रम उसेण्डी
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. सुश्री लता उसेण्डी
4. श्री बघेल लखेश्वर
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री प्रबोध मिंज

अध्यक्ष महोदय :- अब ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12.50 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति जर्जर होना.

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- विधान सभा मुंगेली के ग्राम चमारी से भरूवागुडा 2 किलोमीटर, कोदवाबानी से कुर्सी 5 किलोमीटर, दशरंगपुर किशनपुर से गोईन्द्री 8 किलोमीटर, सोढ़ार से जगताकापा 10 किलोमीटर, बरेला से कुकुसदा 16 किलोमीटर, बरछा से कुकुसदा 12 किलोमीटर, शीतलदाह से गोपतपुर 4 किलोमीटर, विचारपुर से उसलापुर 5 किलोमीटर, फरस्टरपुर से पौनी पहुंच मार्ग 6 किलोमीटर, पौनी मोड़ से दुल्लापुर 6 किलोमीटर, बिजातराई से भुमियापारा 3 किलोमीटर, दाबो छटन से दामापमर 6 किलोमीटर, फास्टरपुर से हरियरपुर चमारी 8 किलोमीटर, केसतरा से टेढ़ाधौरा 6 किलोमीटर, टेढ़ाधौरा से लक्षणपुर दुल्लापुर 7 किलोमीटर, अंतपुर से सिंघनपुरी 3 किलोमीटर, पेड्रांकापा से छटन सेतगंगा 16 किलोमीटर, सीतलकुंडा से सोनपुरी बांकी 5 किलोमीटर, किंदरियापारा से झिटकनिया 5 किलोमीटर, ठाकुरकापा से झिटकनिया 5 किलोमीटर, सेतगंगा से पण्डोतरा 7 किलोमीटर, सेतगंगा से सेमरकोना 5 किलोमीटर, सिपाही से भुरका 7 किलोमीटर, भुरका से सेमरकोना 3 किलोमीटर, सिल्ली से छटन 4 किलोमीटर, हरियरपुर से बोधीपारा फागुपारा टेढाधौरा 15 किलोमीटर, डेढाधौरा से उसलापुर पौनी 8 किलोमीटर, जुझारभाठा से चमारी बिझौरी 4 किलोमीटर, बांकी से चलान चातरखार 3 किलोमीटर, बांकी से चमारी टिगीपुर 15 किलोमीटर, चारभाठा से मानपुर 10 किलोमीटर, चकरभाठा से मानपुर 10 किलोमीटर, निरजाम से देवकीदह बांकी 3 किलोमीटर, पलानसरी से भदराली 2 किलोमीटर जैसे लगभग 140 किलोमीटर मार्ग, जिससे क्षेत्र के लगभग 150 से 200 गांवों के आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं । उक्त सभी मार्गों का लोक निर्माण विभाग, मुख्यमंत्री सड़क योजना एवं अन्य योजनाओं के लगभग 5 से 10 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था, जो कि अब अत्यंत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो चुके हैं । यहां यह कहना सही होगा कि सड़कों में गड्ढे नहीं अपितु गड्ढे में ही सड़क है, जिसके कारण लोगों का आवागमन दूभर हो गया है । आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं । शासन की निरंकुशता एवं अक्षमता के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है । उपरोक्त समस्याओं के कारण क्षेत्र की जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, षष्ठम विधान सभा का नियम 138 के तहत यह पहला ध्यानाकर्षण में मुझे जवाब देने का अवसर मिला है । यह ध्यानाकर्षण भी सदन के सबसे वरिष्ठम् सदस्य ने प्रस्तुत किया है और अपने पूरे विधान सभा क्षेत्र की कितनी उनको जानकारी है, यह बताता है कि उन्होंने लगभग 34 सड़कों का उल्लेख अपने ध्यानाकर्षण में किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों एक-दूसरे को अच्छे से जानते हैं (हंसी)।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, विभाग का वक्तव्य मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों की स्थिति अब अच्छी है । सूचना में वर्णित 07 मार्ग चमारी से भरूवागुड़ा, सोढ़ार से जगताकापा, बरेला से कुकुसदा, केसतरा से डेढ़ाधौरा, पेण्डाराकापा से छटन सेतगंगा, निरजाम से देवकीदह बांकी, पलानसरी से भदराली मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन है, जिनमें लगातार पेच रिपेयर, नवीनीकरण कार्य कर मार्गों का संधारण किया जा रहा है । शेष मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत एवं अन्य मार्ग है ।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित 26 सड़कों में से 14 सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं 12 सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना द्वारा निश्चित रूप से 5 से 10 वर्ष पूर्व कराया गया था । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित 14 सड़कों में से 09 सड़कों में मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य वर्तमान में करा लिया गया है एवं 03 सड़कों का कार्य प्रगतिरत है, शेष 02 सड़कों का जैसे-जैसे आवंटन प्राप्त हो रहा है, मरम्मत कराया जा रहा है । इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना की 12 सड़कों में से 04 सड़कों में मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य प्रगतिरत है, शेष 08 सड़कों का जैसे-जैसे आवंटन प्राप्त हो रहा है, मरम्मत कार्य कराया जा रहा है । सड़कें जर्जर हालत में नहीं हैं, अपितु कुछ क्षतिग्रस्त जरूर हैं । किसी भी मार्ग पर आवागमन अवरूद्ध नहीं है । सभी मार्गों का मरम्मत/सुधार किया जा रहा है ।

लोक निर्माण विभाग की सड़कों के उपलब्ध आवंटन एवं मार्गों की स्थिति की आवश्यकता अनुसार संधारण कार्य किया जा रहा है । अत: मुंगेली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग के मार्गों की स्थिति आवागमन योग्य है । सड़कों के प्रति आम जनता में किसी प्रकार का रोष एवं असंतोष नहीं है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मंत्री जी, जर्जर और क्षतिग्रस्त का उल्लेख करें। जर्जर किसे कहते हैं और क्षतिग्रस्त किसे कहते हैं, यह बताने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि दोबारा इन मार्गों के लिए राशि स्वीकृत हुई है, प्रशासकीय स्वीकृति हुई है, टेण्डर हुआ है लेकिन कार्य नहीं हुआ है। कार्य जल्दी करायेंगे, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं। लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं, जो सही में क्षतिग्रस्त हैं, जर्जर हैं, गड्ढे हैं, उसको क्षतिग्रस्त की परिभाषा में क्या कहेंगे और जर्जर की परिभाषा में बताएं। यह माननीय मंत्री जी का भी जिला है, क्षेत्र है, वे सभी सड़कों को जानते हैं, जवाब शासन की तरफ से आया है, इसमें मुझे नहीं कहना है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, इन मार्गों की आवागमन में जो कठिनाई है, गड्ढे हैं, उसको नवीनीकरण करें और जरूरत के अनुसार डामरीकरण भी करें। मैं ऐसी आशा

करता हूं। तीन मार्ग हैं, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना में अलग-अलग सड़कें हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मोहले जी, जो खराब सड़कें हैं, उसी क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम कर लीजिए, भविष्य में सड़क ठीक हो जाएगा। प्रश्न करने की जरूरत समाप्त हो जाएगी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जाते हैं और वहां गये भी हैं, वे सभी सड़कों के बारे में जानते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर जरूर ध्यान देंगे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, मोहले जी, जर्जर की परिभाषा क्या है, यह आप बता दीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। जर्जर और क्षतिग्रस्त में क्या अंतर है।

श्री राजेश मूणत :- जर्जर तो आप समझ गए ना।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बनाएंगे बोल दीजिए।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जैसे ही विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद तुरंत ही अधिकारियों से कहा है कि जो सड़क पर गड्ढें हैं, खराब हैं, उनको मरम्मत करें, ठीक करें, वह काम तेजी से चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- नवीनीकरण का मतलब आप जर्जर बस पाट देंगे या पूरा नवीनीकरण करेंगे, रिपेयर तो हो सकता है, वह गड्ढें बरसात में फिर खराब हो जाएंगे। आप कृपा करके उसको रिनिवल कराएं और डामरीकरण कराएं, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं। मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। अभी आप आवंटन की बात कर रहे थे, आवंटन तो आपको मिलना ही मिलना है, बजट में आएगा। आप मरम्मत कराएंगे, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं।

श्री अरूण साव :- मैंने विभाग का जवाब है, वह प्रस्तुत किया है और निश्चित रूप से सड़कों के मरम्मत का काम लगातार जारी है और ठीक करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्रीमती शेषराज हरवंश

ध्यानाकर्षण संख्या 2 : श्रीमती शेषराज हरवंश (अनुपस्थित)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के द्वारा सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किये जाने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 प्रस्तुत नहीं हुई)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:57 बजे **नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

1. श्री अजय चंद्राकर

समय :

12:58 बजे **वित्तीय वर्ष 2023-2024 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान**

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परंपरानुसार सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि -

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 50, 55, 56, 64, 67, 69, 71, 79, 80 एवं 82 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तेरह हजार चार सौ सतासी करोड़, चार लाख, इक्यानवे हजार, दो सौ सात रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। सुश्री लता उसेंडी।

सुश्री लता उसेण्डी (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों के समर्थन में मुझे बोलते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। विपुल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न इस प्रदेश की समृद्ध धरती की जनता की सेवा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि हम संसाधनों का विकास तेजी से करें। प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए आधारभूत संरचना तैयार करें। हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि आने वाले समय में हम एक सशक्त, समृद्ध तथा समथ्र्य राज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में हर संभव प्रयास करें।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समान यह सरकार असत्य बोलने, खोखले वायदे करने वाली और जनता को दर्द और दु:ख देने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार मोदी की गारंटी, अटल जी के सपनों को पूरा करने वाली सरकार है और उसी के तारतम्य में जब सरकार को सेवा करने का अवसर मिला तो छत्तीसगढ़ की जनता के सपनों को साकार करने के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के सपनों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने लगातार उस दिशा में पहली केबिनेट में 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देकर सबसे पहला निर्णय माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद भी देती हूं। (मेजों की थपथपाहट) 5 साल से छत्तीसगढ़ की हमारी समस्त गरीब जनता बाट जोह रही थी, जिन्हें आवास से वंचित करने वाली कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही और जिस तरह से आवास के नाम पर कांग्रेस की सरकार ने जनता को धोखा दिया है उसका परिणाम है कि आज वह विपक्ष की भूमिका पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार लगातार धान की बात करती रही और कर्जा माफी की बात करके जिस तरीके से विपक्ष ने छत्तीसगढ़ में किसानों को धोखा दिया, उसका खामियाजा आज विपक्ष भोग रहा है। आने वाले समय में हमारी सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का वायदा किया था। मोदी की गारंटी का वायदा सरकार ने पूरा किया और बहुत जल्दी 3,100 रूपये की पूरी राशि देने का निर्णय भी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लगातार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश में भगवा वातावरण है। आज पूरा देश बसन्ती-चोला पहने हुए दिख रहा है और लगातार साढ़े 500 साल से इंतजार करते रहे हमारे कई महानुभव इस धरती में आये और चले गये, उनके सपनों को साकार करने का काम मोदी जी ने किया और उसके तहत् जब भगवान राम की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई तो छत्तीसगढ़ जो माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ भी इसमें पीछे नहीं रहा और वहां पर जो राशन की व्यवस्था थी, उसमें चावल भेजने का काम छत्तीसगढ़ ने भी किया और उसके साथ-साथ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसमें लगातार छत्तीसगढ़ के हमारे जो बुजुर्गगण थे, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ से बाहर जाकर अन्य प्रदेशों में, जहां पर भी हमारे तीर्थस्थल हैं, उन तीर्थस्थलों का दर्शन कर वापस आकर हमारी सरकार और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी को लगातार आशीर्वाद को देते रहे। बीच में हमसे थोड़ी चूक हो गई थी, लेकिन उन्होंने हमारी सरकार को पुन: आशीर्वाद प्रदान किया है और विष्णुदेव साय जी ने रामलला के दर्शन के लिए 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था इस बजट में रखी है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ से भी छत्तीसगढ़वासी अब लगातार अयोध्या नगरी के दर्शन के लिए जाना प्रारंभ कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनमन योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों की भवनों के लिए, यह सरकार आदिवासी भाइयों की सच्ची हितैषी है इसलिए जनमन योजना के माध्यम से

पिछली जनजातियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयास किया है। पुरानी सरकार विकास कार्यों को ठप्प कर दी थी, जिसके कारण से पूरे प्रदेश में यदि हम देखते हैं तो सारे विकास कार्य शून्य से घोषित हुए हैं और शून्य दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे हम सिंचाई के मामले की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पिछले पांच वर्षों में मात्र दो प्रतिशत सिंचाई का रकबा बढ़ा है, जबकि उसके पहले हमारी सरकार ने पिछले 15 वर्षों में 25 प्रतिशत रकबा बढ़ाया था । यह सरकार की सही सोच को दर्शाता है । आज लोग कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के समय जो भ्रष्टाचार हुआ है, उससे छत्तीसगढ़ का ऐसा माहौल बन गया है कि भ्रष्टाचार की चार "चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरूआ और बाड़ी" आज उसको लेकर छत्तीसगढ़ के लोग भी अफसोस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लोगों को गौमाता के नाम पर हो, किसानों के नाम पर हो, महिलाओं के विकास के नाम पर हो, उन सबको हर जगह छलने का काम किया है । हमारी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में जो प्रावधान किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं । शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, संसाधनों के अभाव में कई बार हमें काम करने की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । हमारे मुख्यमंत्री जी की सहृदता है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो वाचनालय बने हुए हैं, उनमें वाचनालय आगे बनाने के लिए और पुराने समय में कुछ वाचनालय बने हुए हैं, जिसमें सिर्फ पुस्तकालय बना दिया गया है, उसे बच्चे उपयोग करते हैं, लेकिन उचित संसाधन नहीं होने की वजह से उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ता है । उन्हें तकलीफों का सामना न करना पड़े और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले, उसके लिए 20 करोड़ रूपए का प्रावधान पुस्तकालय के लिए किया गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं और जल्द से जल्द वह तैयार हो, ताकि हमारे पुस्तकालयों का संचालन करने वाले और उपयोग करने वाले सभी सहयोगीजनों को उसका लाभ मिल सके ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्रों के हितों की लगातार बात करने वाली हमारी सरकार चाहे वनोपन का मामला हो, चाहे निर्माण का मामला हो, उसके लिए हमारी सरकार हमेशा संवेदनशील रही है और इस बार तेंदूपत्ता के संग्रहणकर्ताओं को 5500 रूपए की मानक दर से राशि देने का निर्णय किया और इस बजट में प्रावधान रखा गया है, मैं उसका भी समर्थन करती हूं । महतारी वंदन योजना के लिए जो बजट प्रावधान किया गया है और 5 फरवरी से फार्म जमा करने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए जो वायदा किया था, मोदी जी की गारंटी की बात की गई थी, उस गारंटी को पूरा किया जा रहा है । मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि तत्काल इस पर पहल किया गया और उन योजनाओं को धरातल पर लाया गया, जिससे छत्तीसगढ़ की बहिनें खुश हैं और उनका आशीर्वाद अभी भी मिल रहा है और आने वाले समय में उनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहेगा । पूर्ववर्ती सरकार में यह कहा गया था कि छत्तीसगढ़ की हर बहिनों को 500 रूपए दिए जाएंगे, लेकिन 5 साल पूरा होने के पूर्व भी कभी भी उस विषय में

चर्चा तक नहीं की गई और उसका खामियाजा आज विपक्ष को भोगना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की गारंटी के कारण छत्तीसगढ़ में बहिनों का साथ हमारे साथ रहा, जिसके कारण हमें सेवा करने का अवसर मिला । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूं और बजट के माध्यम से 13487 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ राज्य के तृतीय अनुपूरक बजट में मैं सरकार के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारी सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को भुगतान करने के लिए अनुपूरक बजट में 12 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की एक प्रमुख गारंटी है, जो हमारी सरकार ने बात कही कि धान खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर हम 21 क्विंटल करेंगे, जो किसानों की आय वृद्धि के लिए बहुत सशक्त माध्यम होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और धान की अत्याधुनिक खेती में बढ़ावा होगा, उसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 साल से पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा मैदानी क्षेत्रों के प्रत्येक आवास के लिए 1.20 लाख तथा दुर्गम क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए 1.30 लाख की राशि दिया जाता था, वह राशि पिछले कुछ समय से पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रथम कैबिनेट में इस योजना के तहत फिर से 18 लाख गरीबों के लिए आवास योजना हेतु राशि प्रावधानित किया, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

समय :
12.56 **(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों एवं प्रशिक्षित सामुदायिक समूहों को स्वरोजगार हेतु क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यांश के रूप में अनुपूरक बजट में 95 लाख का प्रावधान किया है, मैं उसके लिए राज्य सरकार के प्रति कृतज्ञता, आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अन्तर्गत राज्य में अबूझमाड़िया, बैगा, बिसोन, कमार, पहाड़ी कोरबा, पंडा एवं भूजिया जनजाति वर्ग के 19 जिलों में स्थित बसाहटों को पक्की बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, मैं उसके लिए सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इन बसाहटों में

आंगनबाड़ी भवन के निर्माण हेतु 6 करोड़ 8 लाख रूपये का जो प्रावधान किया गया है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ धार्मिक प्रदेश है। हम सब जानते हैं कि प्रभु श्रीराम जी का ननिहाल हमारा छत्तीसगढ़ माना जाता है। पांच सौ वर्षों की तपस्या के बाद, पांच सौ वर्षो के इंतजार के बाद प्रभु श्रीराम चन्द्र जी का पुन: अयोध्या के मन्दिर में स्थापना की गई है। उसके लिए हमारी सरकार ने श्रीराम लला दर्शन योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत हर वर्ष 10 हजार दर्शनार्थियों को अयोध्या ले जाकर दर्शन करायेगी, उसके लिए अनुपूरक में जो प्रावधान किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से आत्मानंद स्कूल के नाम से पिछली सरकार के द्वारा शालाओं के साथ एक ठगी किया गया था। माननीय सभापति महोदय, यह इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आत्मानंद विद्यालय में ही ऐसा होता था कि वहां भर्ती होने वाले शिक्षक थे, वह बिना बी.एड./डी.एड. वाले शिक्षक थे। हम सबको मालूम है कि बी.एड./डी.एड. अनिवार्य है। एन.सी.ई.आर.टी. और भारत सरकार के शिक्षा विभाग का निर्देश है कि बिना बी.एड./डी.एड. उत्तीर्ण बगैर कोई शिक्षक भर्ती नहीं होगा। पिछली सरकार ने आत्मानंद स्कूल के नाम से किसी भी व्यक्ति को संविदा शिक्षक के रूप में भर्ती कर दिया और प्रतिनियुक्ति में शिक्षक बुला लिया गया। इससे कहीं न कहीं स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे बालक बालिकाओं के बौद्धिक विकास के साथ छेडछाड़ किया गया है। उसमें सुधार करने के लिए हमारी सरकार ने प्राथमिक शालाओं में सुधार के लिए 103 करोड़ राशि का प्रावधान किया है तथा माध्यमिक शालाओं के लिए 970 करोड़ का प्रावधान किया है, मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश, पूरे विश्व में कोरोना महामारी से लाखों लोग काल कलवित हुए और कोरोना के बहुत से साईड इफेक्ट चिकित्सा क्षेत्र में लोगों को देखने को मिलता है। तरह तरह की नये नये प्रकार बीमारियां आप सबके बीच में आ रही है। इसके कारण चिकित्सा महाविद्यालय के लिए सौ करोड़ रूपया बजट में प्रावधानित किया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, आपने बच्चों के बौद्धिक विकास की दिशा में वाचनालय सेन्ट्रल लायब्रेरी सह रीडिंग हॉल के लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए 30 करोड़ रूपये की राशि और प्रधानमंत्री मतस्य सम्पदा योजना के लिए केन्द्र सरकार से सौ करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि तृतीय अनुपूरक के समर्थन में अपनी बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, कल दिनांक 5 फरवरी, 2024 को तृतीय अनुपूरक अनुदान मांग विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था और हम सब उसका समर्थन करते हैं और मैं भी उसका समर्थन करती हूं। निश्चित ही यह जो तृतीय अनुपूरक अनुपूरक अनुदान मांग प्रस्तुत किया गया है, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की आने वाली दिशा और दशा दोनों का ही भविष्य तय करने वाला है। साथ ही लोगों के बीच यह संदेश गया है, जिससे कहीं न कहीं जनता उत्साहित है। मैं चाहे युवा वर्ग की बात करूं, चाहे किसान वर्ग की बात करूं, चाहे गरीब की बात करूं, चाहे महिलाओं की बात करूं, सबमें एक आशा की उम्मीद जगी है। क्योंकि पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस का जो कार्यकाल था, उससे हर एक वर्ग बहुत ही असंतुष्ट था, हर जगह भ्रष्ट्राचार का जो माहौल था, हर जगह कमीशनखोरी थी, कहीं न कहीं लोगों को यह विश्वास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के जनादेश के साथ आई है, वह जनता के हितों के लिये काम करेगी । मैं निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके नेतृत्व में 13,487 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है । प्रधानमंत्री आवास के बारे में कहना चाहूंगी कि पिछली बार जिसकी चर्चा हुई थी, इस बार प्राथमिकता में रखना चाहूंगी कि 18 लाख आवास के लिये जिनके खाते में पैसे आने शुरू हो रहे हैं, क्षेत्रों में निश्चित ही उनकी खुशी देखने को मिलती है । मुझे तीन मिनट में अपनी बात खत्म करनी है, मैं कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहूंगी । सभापति महोदय, दूसरा विषय बोनस का है, 25 दिसम्बर को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हमने जो "सुशासन दिवस" मनाया है, इसका प्रभाव निश्चित रूप से क्षेत्र में देखने को मिला है । लोगों में इस बात की संतुष्टि है कि सरकार को अभी सिर्फ एक या दो महीने ही हुये हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास और बोनस को लेकर जो त्वरित निर्णय लिये हैं, जिस तरह उसे बजट में शामिल किया गया है, अत: जनता को हमारी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें है । सभापति महोदय, एक अन्य विषय "महतारी वंदन" से संबंधित है । "महतारी वंदन योजना" का Form Distrubution 5 फरवरी को शुरू हुआ है और पहले ही दिन लाखों की संख्या में जिस तरह से उत्साह देखने को मिला है और कहीं न कहीं यह जवाबदारी जनता के मन में विश्वास का वातावरण निर्मित करती है । सभापति महोदय, कृषि के लिये जो 6 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, मुझे लगता है कि इससे आने वाले समय में एक अच्छा बजट प्रस्तुत होगा । चूंकि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ में एक धार्मिक माहौल है और संयोग से केन्द्र में मोदी जी की सरकार है और उत्तरप्रदेश में जहां श्री रामलला विराजमान हैं, वहां भी हमारी भाजपा की ही सरकार है और हमारे छत्तीसगढ़ में जहां प्रभु राम का ननिहाल है, यहां भी भाजपा की सरकार है । प्रभु श्री राम का आर्शीवाद ही समझिये कि केन्द्र में, उत्तरप्रदेश और तीनों जगह भाजपा की सरकार है । 500-550 सालों की तपस्या के बाद हमारे श्री प्रभु श्री राम टेंट को छोड़कर अपने मंदिर में, अपने घर में विराजमान हुये हैं तो इससे बड़ा आर्शीवाद भारतीय जनता पार्टी को दूसरा नहीं मिल

सकता है । माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी योजनायें हैं, चाहे आदिवासी क्षेत्र के विषय की बात हो, जिस तरह से एक महिला आदिवासी हमारे देशस की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं और हमारे लिये गर्व की बात है कि प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी, आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज को लेकर जो बजट में प्रावधान किया गया है, अत: निश्चित रूप से से यह विषय दिखाता है कि वर्ग कोई भी हो, छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार है, उससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहेगा । हर विषय का, हर वर्गों का ध्यान, बजट में भी समावेश होगा और आने वाले समय में इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी उसका समावेश किया जायेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आज जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, सभी पांच सदस्यों का लगभग मैडेन स्पीच है । आपकी ओर से सभी को बधाई, शुभकामनायें आनी चाहिये । [XX] सब अच्छे बोल रहे हैं, मैडेन स्पीच दे रहे हैं ।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, [XX] हैं कि अच्छा बोल रहे हैं, पहले यह क्लियर कर दें ? धन्यवाद सभापति महोदय । आपने मुझे समय दिया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ ।

सभापति महोदय :- गुरू खुशवंत साहेब ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब (आरंग) :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2023-2024 का तृतीय अनुपूरक अनुमान जो विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ । सभापति महोदय, इस बजट में 31 अनुदान मांगों के अंतर्गत 13,487 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 31 अनुदान मांगों में 5 मांगों के तहत 6,845 करोड़ का प्रावधान हुआ है यानी लगभग 50 परशेंट से अधिक राशि का संबंध सीधा ग्रामीण जनता से, ग्राम पंचायतों से, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है । यह प्रदेश का एक ऐसा दर्पण प्रस्तुत कर रहा है, जिसे मात्र 5 अनुदान मांगों की राशि के आंकड़ों में देखा जा सकता है । यह बजट पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्ट्राचार से निजात पाने की एक अच्छी पहल है । हम कह सकते हैं कि यह मुख्यमंत्री महोदय के हौसलों का बजट है । "हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चराग जलते हैं।" अनुसूचित जाति, जनजाति, वनांचल का परिवार जो रो रहा था, आज उनके आंखों में खुशियों की रौशनी देखने को मिलती है । आंख का अष्णु कण हंसने लगा है, ढ़ल गई है भ्रष्ट्राचार की आह, हद्य आनंदित कहने लगा है कि अब दाना गरीबों के पेट में आयेगा, कोई कोयला, शराब स्कैंडल नहीं होगा । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिये गये अव्यावहारिक निर्णयों के कारण प्रदेश सरकार के ऊपर इतना ज्यादा ऋण हो गया है कि 74.80 करोड़ रूपये ब्याज में ही दिया जाना होगा।

माननीय सभापति महोदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनांतर्गत 32.45 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गरीबों को बिजली मिलेगी। वहीं कृषक उन्नति योजना हेतु 06 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषकों की आय बढ़ेगी।

'यह न समझा जाये शहर किससे पलता है,

मेरे खेत की मिट्‌टी से पलता है सभी शहरों का पेट,

शहरों में खरीद लोगे करोड़ों का घर,

पर आंगन दिखाने किसान के पास जाना होगा' (मेजों की थपथपाहट)।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24, मुख्य शीर्ष 5054, रेलवे ब्रिज के संबंध में कहना चाहता हूं। यह रेलवे ब्रिज संबंधित क्षेत्र के लाखों लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हमारी सरकार निजी रूप से ग्रामीणों की सीधी आय बढ़ाने वचनबद्‌ध है परंतु आधारभूत संरचना में विकास करना भी प्रदेश हेतु आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य शीर्ष 2501, मत संख्या 3-7 के मध्य, प्रदेश की महिला स्व-सहायता समूह के उत्थान हेतु 108.25 करोड़ के अनुपूरक अनुदान की व्यवस्था की गयी। यह राशि सीधे-सीधे महिलाओं की समृद्‌धि हेतु जायेगी। क्योंकि 'फूलों की सेज सा नहीं होता नारी जीवन, एक रणभूमि सा होता है नारी जीवन

क्योंकि कमर कसकर तूफान से टकराकर, दम लेती है नारी विजय फतह का फहराकर'

सभापति महोदय, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, श्री राम लला दर्शन, जिसके लिये 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह प्रसन्नता दुगुनी हो जाती है क्योंकि यह माता कौशल्या की धरती है। यह माता कौशल्या की धरा है।

'मां कौशल्या तुम्हें प्रणाम, तूने जग को दिया है राम

राजीव लोचन करूणा निदान, तूने जग को दिया है राम' (मेजों की थपथपाहट)।

सभापति महोदय, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 133 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह बताती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है।

'जो स्वस्थ नहीं रहता, सब बेकार है

सबकुछ होते हुए, सिर्फ घर है'

माननीय सभापति महोदय, यह अनुपूरक अनुमान निश्चित ही प्रदेश की जनता के लिये बहुत ही अच्छा अनुपूरक अनुमान है और मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला जी।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, इस अनुपूरक अनुमान पर बोलने का अवसर देने के लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज यह अनुपूरक अनुमान छत्तीसगढ़ में सुशासन के सूर्योदय के

साथ-साथ जनभावनाओं की गारंटी के लिये भी जाना जा रहा है। ऐसे कुछ विषय है जो इस अनुपूरक में आये। आपको पूर्ववर्ती सरकार की राजीव गांधी न्याय योजना याद होगी। जिसमें 04 किश्तों में किसानों को ठगने का काम किया जाता था। आज वे सदस्य इस सदन से बहिर्गमन करके चले गये हैं। उन्हें ध्यानाकर्षित करते हुए यह बात आती है कि मोदी जी की गारंटी के साथ-साथ हमारी विष्णुदेव सरकार की गारंटी भी है कि कृषि उन्नति योजना के नाम पर हमने जो एकमुश्त राशि किसानों के स्वाभिमान और स्वावलंबन के लिये देने का प्रावधान किया है, वह स्वागत योग्य है। इस अनुपूरक अनुमान में हमारी सरकार के द्वारा नगरीय निकायों में सेंट्रल लाईब्रेरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस अनुपूरक अनुमान में पंचायत में वाचनालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस अनुपूरक अनुमान में सखी वन सेंटर स्थापित करने का विषय आया है। इस अनुपूरक में जनता के लिये दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत राशि का प्रावधान किया गया है। हमारे पूर्ववक्ता जो सबसे महत्वपूर्ण विषय में बोलने से चूक गये कि माननीय वित्त मंत्री ने इस अनुपूरक में घरेलू उपभोक्ताओं की देयकों में राहत के लिये जो राशि लायी है, वह अपने आप में अद्भूत है।

माननीय सभापति महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि छत्तीसगढ़ के रग-रग में बसने वाले राम, जो सामाजिक जीवन के साथ-साथ हमारे व्यावहारिक उत्थान के विषय में भी सारगर्भित तरीके से लागू होते हैं, ऐसे राम के दर्शन पर भगवान राम, मर्यादा पुरूषोत्तम राम, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सुख और दु:ख दोनों का हिस्सा है। पहला, सुख का हिस्सा भांचा होने के नाते है कि भांचा हमारे यहां पूजनीय होता है। दूसरा, दु:ख का विषय यह है कि उन्होंने अपने 14 वर्ष के वनवास में सर्वाधिक समय दण्डकारण्य में झेला है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो दु:ख में अपनी मर्यादा बचाकर रखे, उसे ही पुरूषों में मर्यादा पुरूषोत्तम कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं (मेजों की थपथपाहट)। वह सुख और दु:ख का हिस्सा हमारे हिस्से में आता है। जब उनको टाट (टेण्ट) से उठाकर ठाठ (महल) में विग्रह स्वरूप में स्थापित किया जाता । तब भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग छाती पीटते हुए, यह कहते हैं कि हम उस आयोजन में क्यों जाएं? मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लाडले भांचा के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के नागरिकों को जो अयोध्या भेजने के काम को अपने सर माथे पर लिया है, यह अपने आप में अतुलनीय है। इसके लिए इस अनुपूरक बजट में प्रावधान लाना, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब विष्णु देव सरकार के सुशासन का सुर्वोदय हो रहा था तब मैं पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले पर और भ्रष्टाचार के विश्‍व कीर्तिमान पर नज़र डालता हूँ, तब मुझे यह पंक्तियां याद आती हैं

"बड़े अदब से गुरूरे सितमगरा बोला
जो इनकलाब के लहज़े में बेज़ुबान बोला।।
अभी से होश उड़े हैं मतलब परस्तों के

अभी मेरी सरकार आयी है, मैं अभी कहां बोला।"

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2023-24 का जो तृतीय अनुपूरक अनुमान आया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यह अनुपूरक राशि भले ही लगे, लेकिन इसमें गांव, गरीब, किसान और महिला आदि सभी के लिए कुछ न कुछ राशि दी गई है। श्रीराम जन्मभूमि में भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं। हमारी सरकार ने अयोध्या धाम दर्शन के लिए जो वायदा किया था, इस अनुपूरक में उसे पूरा करने के लिए राशि की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद् देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर दिया जाना है। इसके लिए भी इस तृतीय अनुपूरक में राशि का प्रावधान किया गया है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो यह लोग गरीबों को घर से वंचित कर दिया करते थे। उस समय लोग बहुत परेशान थे, परन्तु अब हमारी सरकार ने इसके लिए इस बजट में व्यवस्था कर दी है।

माननीय सभापति महोदय, इस तृतीय अनुपूरक बजट में कृषि, शिक्षा, सड़क, जिला स्थापना आदि सभी क्षेत्रों के लिए राशि की व्यवस्था की गई है। मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

समय :
1.27 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आज की इस चर्चा में भाग लेने वाले सुश्री लता उसेण्डी जी, श्री गजेन्द्र यादव जी, श्रीमती भावना बोहरा जी, गुरू खुशवंत साहेब जी, भाई सुशान्त शुक्ला जी, श्री रिकेश सेन जी का विशेष रूप से धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस अनुपूरक बजट के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया और इसे हमारी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करने के पूर्व मैं सदन को वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट एवं राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्ष

2023-24 के राज्य के मुख्य बजट का आकार 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ रूपया था, इसमें राजस्व व्यय 1 लाख 2 हजार 501 करोड़ रूपये था तथा पूंजीगत व्यय 18 हजार 660 करोड़ रूपये है। इसके अलावा ऋण एवं अग्रिम मद में 339 करोड़ रूपये का प्रावधान था। बजट में राजस्व आधिक्य 3 हजार 500 करोड़ रूपये तथा वित्तीय घाटा (fiscal deficit) 15 हजार 200 करोड़ रूपये अनुमानित है, जो राज्य के G.S.D.P.(सकल घरेलू उत्पाद) का 2.99 प्रतिशत है, जो (FRBM) [Fiscal Responsibility & Budget Management] Act के अंतर्गत है। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 5 लाख 9 हजार 43 करोड़ रूपये अनुमानित है, जिसमें गत वर्ष की तुलना में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- कार्यसूची के पद क्रमांक 8 तक का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाती है। मैं समझता हूँ सभा सहमत है ?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की की गई)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल की समाप्ति पर 17 दिसम्बर, 2018 को राज्य पर कुल कर्ज 41 हजार 695 करोड़ रूपये था, जो बीते 5 वर्षों में बढ़कर दोगुना से अधिक हो गया है। राज्य पर 31 जनवरी 2024 की स्थिति में कुल 95,754 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसमें से 8,074 करोड़ रुपये जी.एस.टी. ऋण तथा 5,696 करोड़ रुपये केन्द्र से पूंजीगत व्यय हेतु प्राप्त ऋण को कम करने पर वर्तमान में राज्य का शुद्ध कर्ज 81,984 करोड़ रुपये है जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 16.1 प्रतिशत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन के समक्ष तृतीय अनुपूरक बजट के प्रमुख वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट का आकार 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ रुपये था। प्रथम अनुपूरक का आकार 6,032 करोड़ रुपये था, द्वितीय अनुपूरक का आकार 12,993 करोड़ रुपये था, तृतीय अनुपूरक का आकार 13,487 करोड़ रुपये है। तृतीय अनुपूरक में राजस्व व्यय के लिए 13,171 करोड रुपये एवं पूंजीगत व्यय के लिये 316 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बताना चाहता हूं। हमने अपने संकल्प पत्र में राज्य के अन्नदाताओं के लिये "कृषक उन्नति योजना" लागू करना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदेशवासियों को दी गई एक प्रमुख गारंटी है। हम अपने वचन के प्रति कृतसंकल्पित हैं। इसे पूरा करने के लिए हमने तृतीय अनुपूरक में 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अर्थात प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ की है। इस संवेदनशील पहल का उद्देश्य इन जनजातीय समूदायों को आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर सुविधायें पहुंचाने के साथ ही उनकी बसाहटों तक पक्की सड़क और दूरसंचार कनेक्टिीविटी उपलब्ध करना है। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत राज्य में अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा, पंडो एवं भुंजिया जनजाति के वर्ग की 19 जिले में स्थित बसाहटों को पक्की बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए इस तृतीय अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इन बसाहटों में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु इस अनुपूरक बजट में 6 करोड़ 48 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वसहायता समूहों एवं प्रशिक्षित सामुदायिक संवर्गो को स्वरोजगार हेतु क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्यांश के रूप में इस अनुपूरक बजट में 195 करोड़ 95 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के राज्यांश हेतु लिये गये ऋण के मूलधन के भुगतान हेतु 38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 जनवरी 2024 को अधोध्या में निर्मित भव्य श्रीराम मंदिर में श्री रामलला की प्रतिमा की दिव्य प्राण-प्रतिष्ठा के साथ ही सनातनियों के 500 वर्षो के संघर्ष की सुखद परिणति हुई है। श्रीराम करोड़ों भारतवासियों के आराध्य होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के भांजे भी हैं। इसलिए छतीसगढवासियों के लिये यह और भी सुखद अवसर है। हमारे संकल्प पत्र में हमने प्रदेशवासियों को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन की सुविधा प्रदान करने का वादा किया था। इस वादे को पूर्ण करने के लिये "श्री रामलला दर्शन योजना" प्रारंभ की गई है और इस अनुपूरक बजट में इस योजना के लिये 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक आधी दर पर बिजली उपलब्ध कराने हेतु हॉफ बिजली बिल योजना अंतर्गत इस वर्ष के बजट में प्रावधान के अतिरिक्त 32 करोड़ 32 लाख रुपये का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। इसके अतिरिक्त भिलाई स्टील प्लांट के वितरण लाईसेंसी एरिया में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत देयकों में भी उपरोक्तानुसार ही आधे बिल की राहत प्रदान करने हेतु 4 करोड़ 74 लाख रुपये का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। शिक्षक संवर्ग के वेतन आदेश भुगतान हेतु 200

करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय हेतु 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादों, कला, हस्तशिल्प एवं ऐसी सभी वस्तुएं, जो स्थानीय स्तर पर उत्पादित होती है, उन्हें एक ही मार्केट प्लेस पर विक्रय हेतु उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस अनुपूरक में यूनिटी मॉल के निर्माण हेतु 19 करोड़ रूपये का प्रावधान किय गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इस अनुपूरक में 10 करोड़ रूपये का प्रावधन किया गया है। सिम्स बिलासपुर के भवन में आवश्यक तात्कालिक मरम्मत कार्य हेतु इस अनुपूरक में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सखी वन स्टाफ सेंटर के भवन निर्माण हेतु इस अनुपूरक में 5 करोड़ 12 लाख रूपये का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के संकल्प पत्र में हमने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया है, हम उसको पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़वासियों को दी गई मोदी की गारंटी को शत् प्रतिशत पूर्ण करने के प्रति हम वचनबद्ध हैं। एक-एक करके सभी वादों को पूरा किया जा रहा है और यह अनुपूरक हमारे वादों को पूरा करने की दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक और ठोस कदम है। यह हमारा एक लघु प्रयास है। जनता द्वारा हमें दिए गए जनादेश और आशीर्वादस्वरूप अभूतपूर्व समर्थन का हम आभार जताते हैं। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से वर्ष 2023-2024 के इस तृतीय अनुपरूक बजट को सर्वसम्मति से पारित करने का विनम्र अनुरोधन करता हूं। जय छत्तीसगढ़। जय भारत। जय हिंद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 50, 55, 56, 64, 67, 69, 71, 79, 80 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तेरह हजार चार सौ सतासी करोड़ चार लाख इक्यानवे हजार दो सौ सात रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय वित्त मंत्री, श्री ओ. पी. चौधरी जी।

समय :

1.38 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आगे पढ़िये।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। बृजमोहन जी, इसमें कुछ बोलना है।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, पारित कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 07 फरवरी, 2024 को 11 बजे तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 1 बजकर 40 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 07 फरवरी, 2024 (माघ 18, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक : 06 फरवरी, 2024 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं